लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

Preservation Unit
21-5-97
Fumigated
On 19.12.83
Parliament Library

[खंड २९ में अंक ४१ से ५० तक हैं
Vol. XXIX contains Nos. 41—50]

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक ४७—शुक्रवार, १० अप्रैल, १९६४/२१ चैत्र, १८८६ (शाक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३६०५–३२
*तारांकित प्रश्न संख्या		
९८९	"टिस्को"	३६०५-०६
९९०	बिजली परियोजनाओं के लिए मशीनरी	३६०६—०८
९९१	गारो पहाड़ियों में "जिप्सम" के निक्षेप	३६०८–०९
९९२	भारत-जर्मन उपक्रम "उतमल"	३६०९–१०
९९३	भिलाई और दुर्गापुर में कच्चे लोहे के लिए धमन भट्टी	३६११–१२
९९४	खेत्री तांबा परियोजना	३६१२—१५
९९५	उड़ीसा और बिहार में मैंगनीज तथा लौह अस्यक खानें	३६१५—१७
९९६	काश्मीर में एक मतपेटी (बैलट बाक्स) प्रणाली	३६१७—१९
९९८	कपड़े का निर्यात	३६१९—२१
९९९	कोयले का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जाना	३६२१—२३
१०००	पोलैंड की कोयला खनन मशीनें	३६२३–२४
१००१	कोयला उद्योग	३६२४–२५
१००३	इस्पात प्राथमिकता समिति	३६२५–२६
१००४	सरकारी उपक्रमों में पारिश्रमिक	३६२६—२८
१००६	बाल-बेयरिंगों का निर्माण	३६२८–२९
१००७	कपड़े तथा सूत के मूल्य	३६२९—३२
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—	३६३२—४९
तारांकित प्रश्न संख्या		
९९७	इलायची बोर्ड का गठन	३६३२
१००२	अखबारी कागज	३६३२
१००५	सहायक उद्योगों की स्थापना	३६३३
१००८	राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात	३६३३–३४

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 47 *Friday, April*, 10, 1964/*Chaitra* 21, 1886 (*Saka*).

	Subject	Pages
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		3605—32
*Starred Questions Nos.		
989	TISCO	3605-06
990	Machinery for Power Projects	3606—08
991	Gypsum Deposits in Garo Hills	3608-09
992	Indo-German Venture 'UTMAL' . . .	3609-10
993	Blast Furnaces for Pig Iron at Bhilai and Durgapur	3611-12
994	Khetri Copper Project	3612—15
995	Manganese and Iron Ore Mines in Orissa and Bihar.	3615-17
996	Single Ballot Box System in Kashmir . .	3617—19
998	Export of Cloth	3619—21
999	Movement of Coal	3621—23
1000	Polish Coal-mining Machinery	3623-24
1001	Coal Industry	3624-25
1003	Steel Priority Committee	3625-26
1004	Remuneration in Public Undertakings . . .	3626—28
1006	Manufacture of Ball-Bearings	3628-29
1007	Prices of Cloth and Yarn	3629—32
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—		3632—49
Starred Questions Nos.		
997	Constitution of Cardamom Board . . .	3632
1002	Newsprint	3632
1005	Setting up of Ancillary Industries . . .	3633
1008	Imports through S.T.C.	3633-34

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२०३६	उड़ीसा को अलौह धातुओं का आवंटन . . .	३६३४
२०३७	उड़ीसा को औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना . .	३६३५
२०३८	उड़ीसा में रेशम कीट पालन उद्योग का विकास . .	३६३५
२०३९	इस्पात के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की अधिकतम सीमा .	३६३५–३६
२०४०	ट्रैक्टरों का निर्माण	३६३६
२०४१	हथकरघा वित्त निगम	३६३६
२०४२	रूस को डिब्बों में बन्द फलों का निर्यात . . .	३६३६–३७
२०४३	पटसन गोदाम . . .	३६३७
२०४४	सीमेन्ट के कारखाने	३६३७
२०४५	बम्बई में ड्रम क्लोज़र्स फैक्टरी . . .	३६३८
२०४६	सिलाई की मशीनों के पुर्जों का निर्माण . . .	३६३८–३९
२०४७	मोटर कारों का उत्पादन	३६३९
२०४८	नाहन ढलाईघर	३६३९
२०४९	कोयले का उपभोग	३६३९–४०
२०५०	विद्युत् करघा सहकारी समितियां . . .	३६४०–४१
२०५१	कताई मिलों के लाइसेंस	३६४१–४२
२०५२	कपड़े का उत्पादन	३६४२–४३
२०५३	कपड़े का उत्पादन	३६४३
२०५४	ब्रिटेन में निर्मित "एफ" टाइप कार . . .	३६४३
२०५५	हिन्दू विवाह अधिनियम	३६४३–४४
२०५६	आयात किये गये माल/मशीनों का निर्यात . .	३६४४
२०५७	अमरीका के साथ व्यापार	३६४४–४५
२०५८	इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात . . .	३६४५
२०५९	कागज के कारखाने	३६४५
२०६०	रूस को निर्यात	३६४५
२०६१	मंडी में नमक की खानें	३६४५–४६
२०६२	पंजाब में ऊन की कताई मिलें	३६४६
२०६३	ब्रह्मपुत्र नदी-तल में सोने के निक्षेप . . .	३६४६
२०६४	उड़ीसा में भारी उद्योग	३६४६–४७
२०६५	विदेशों में कुटीर और लघु उद्योगों में प्रशिक्षण . .	३६४७
२०६६	उड़ीसा में अम्बर चरखे	३६४७

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Questions Nos.	Subject	Pages
2036	Allotment of Non-ferrous Metals to Orissa	3634
2037	Grant of Industrial Licences in Orissa	3635
2038	Development of Sericulture in Orissa	3635
2039	Foreign Exchange Ceiling for Import of Steel	3635-36
2040	Manufacture of Tractors	3636
2041	Handloom Finance Corporations	3636
2042	Export of Canned Fruits to U.S.S.R.	3636-37
2043	Jute Godowns	3637
2044	Cement Factories	3637
2045	Drum Closures Factory in Bombay	3638
2046	Manufacture of Sewing Machine Components	3638-39
2047	Production of Motor Cars	3639
2048	Nahan Foundry	3639
2049	Consumption of Coal	3639-40
2050	Powerloom Co-operatives	3640-41
2051	Licences for Spinning Mills	364 -42
2052	Production of Cloth	3642-43
2053	Production of Cloth	3643
2054	'F' Type Car Produced in Britain	3643
2055	Hindu Marriage Act	3643-44
2056	Export of Imported Goods/Machines	3644
2057	Trade with U.S.A.	3644-45
2058	Export of Engineering Goods	3645
2059	Paper Factories	3645
2060	Exports to Russia	3645
2061	Mandi Salt Mines	3645-46
2062	Wool Spinning Mills in Punjab	3646
2063	Gold Deposits in Brahmaputra River-bed	3646
2064	Heavy Industries in Orissa	3646-47
2065	Training in Cottage and Small Scale Industries Abroad	3647
2066	Ambar Charkhas in Orissa	3647

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२०६७	रूरकेला संयंत्र से हल्के इस्पात की चादरें . .	३६४७-४८
२०६८	आन्ध्र प्रदेश में सीसे के निक्षेप . . .	३६४८
२०६९	लुग्दी तथा कागज उद्योग	३६४८
२०७०	आद्यरूप (प्रोटोटाइप) उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र .	३६४८-४९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३६४९--५१

पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने वाली शरणार्थियों की रैलगाड़ियों का बन्द होना

श्री कपूर सिंह ३६४९

श्रीमती लक्ष्मी मेनन ३७४९--५१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६५१-५२

प्राक्कलन समिति ३६५२

तिरेपनवां प्रतिवेदन

अनुदानों की मांगें ३६५२--६६

वैदेशिक कार्य मंत्रालय ३६५२--६६

श्री दी० चं० शर्मा ३६५२-५३

श्री ही० ना० मुकर्जी ३६५३--५६

श्री खाडिलकर ३६५६--५८

श्री बाकर अली मिर्जा ३६५८-५९

श्री नाथपाई ३६५९---६३

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा ३६६३-६४

श्री नि० चं० चटर्जी ३६६४--६६

श्री कृ० चं० शर्मा ३६६६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चालीसवां प्रतिवेदन ३६६६-६७

विधेयक पुर:स्थापित ३६६७

१. संविधान (संशोधन) विधेयक (धारा २१७ का संशोधन) [श्री पु० र० पटेल का] ३६६७

२. संविधान (संशोधन) विधेयक (सातवीं अनुसूची का संशोधन) [डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी का] ३६६७

	Subject	Page
Unstarred Questions Nos.		
2067	Mild Steel Sheets from Rourkela Plant . .	3647–48
2068	Lead Deposits in Andhra Pradesh . .	3648
2069	Pulp and Paper Industries	3648
2070	Prototype Production and Training Centres . .	3648–49

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . 3649—51

Suspension of migrants' trains from East Pakistan to India . 3649—51

Papers laid on the Table 3651–52

Estimates Committee

Fifty-third Report 3652

Demands for Grants . . . . 3652—66

Ministry of External Affairs . . . . 3652—66

Shri D. C. Sharma. 3652–53

Shri H. N. Mukerjee . . . . 3653—56

Shri Khadilkar . . . . 3656—58

Shri Bakar Ali Mirza 3658–59

Shri Nath Pai . . . . 3659—63

Shri Inder J. Malhotra 3663–64

Shri N. C. Chatterjee . . . . 3664—66

Shri K. C. Sharma 3666

Committee on Private Members' Bills and Resolutions

Fortieth Report 3666–67

Bills introduced 3667

1. Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of article 217*) By Shri P. R. Patel 3667

2. Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of the Seventh Schedule*) by Dr. L. M. Singhvi 3667

विषय	पृष्ठ
१. संसद-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक (धारा ३ और ५ का संशोधन) [श्री रघुनाथ सिंह का]	३६६७—६९
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद ८४ और १७३ का संशोधन) [श्री हरि विष्णु कामत का]	३६७०
विचार करने का प्रस्ताव	३६७०
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १२४ और २१७ का संशोधन) [श्री कृ० चं० शर्मा का]	३६७०—७५
विचार करने का प्रस्ताव	३६७०
श्री कृ० चं० शर्मा	३६७०–७१
श्री दी० चं० शर्मा	३६७१–७२
श्री हनुमन्तैया	३६७२
डा० राम मनोहर लोहिया	३६७३
डा० सरोजिनी महिषी	३६७३
श्री ओझा	३६७४
श्री हाथी	३६७४–७५
सरकस कर्मचारियों का संरक्षण विधेयक [श्री नम्बियार का]	३६७६—७८
विचार करने का प्रस्ताव	३६७६
श्री नम्बियार	३६७६–७७
श्री जोकीम आल्वा	३६७७–७८
श्री स० मो० बनर्जी	३६७८

Subject	Page
3. Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill (*Amendment of sections* 3 *and* 5) by Shri Raghunath Singh	3667—69
Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of articles* 84 *and* 173) by Shri Hari Vishnu Kamath	3670
Motion to consider	3670
Constitution (Amendment) Bill (*Amendments of articles* 124 *and* 217) by Shri K.C. Sharma	3670—75
Motion to consider	3670
Shri K. C. Sharma	3670-71
Shri D. C. Sharma	3671-72
Shri Hanumanthaiya	3672
Dr. Ram Manohar Lohia	3673
Dr. Sarojini Mahishi	3673
Shri Oza	3674
Shri Hathi	3674-75
Protection of Circus Employees Bill by Shri Nambiar.	3676-78
Motion to Consider	3676
Shri Nambiar	3676-77
Shri Joachim Alva	3677-78
Shri S.M. Banerjee	3678

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, १० अप्रैल, १९६४/२१ चैत्र, १८८६ (शक)

Friday, April 10, 1964/*Chaitra* 21, 1886 (*Saka*).

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

'टिस्को'

\+
*९८९. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दाजी :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री** 'टिस्को' (टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी) के संबंध में ६ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्याज समेत ऋण की अदायगी के संबंध में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). कुछ प्रकार के इस्पात के विनियंत्रण द्वारा उत्पन्न नई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, समूचे मामले पर टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के साथ बातचीत की जा रही है। इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : नई स्थिति अभी हाल में ही बनी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस स्थिति से पूर्व टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी से ऋण वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं इस प्रश्न का कई बार उत्तर दे चुका हूं। करार की शर्तों के अनुसार हमें उनको ऋण के भुगतान के लिये धन देना पड़ेगा। स्पष्टतः यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। अब जब कि कुछ किस्म के इस्पात पर से नियंत्रण हटा दिया गया है, एक नई स्थिति पैदा हो गयी है और इसलिये हम ऋण के भुगतान की शर्तों पर बातचीत कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि यह ऋण वसूल किया जाना है इन समवायों पर कुल कितना ऋण और ब्याज देय है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह ऋण है और ऋण वापस लिया ही जाता है। अतः हम इस ऋण की वसूली के लिये सभी कदम उठायेंगे। जहां तक कुल रकम का संबंध है, मूल धन राशि १० करोड़ रुपये हैं और २ या ३ करोड़ रुपये ब्याज है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस ऋण की वापसी बहुत लम्बे समय से लम्बित है, क्या सरकार ने इस कम्पनी के साथ अपनी बातचीत में समवाय विधि के नये उपबन्धों के अन्तर्गत इन ऋणों में समपूंजी में परिवर्तित करने की संभावना पर विचार किया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं; अभी वह स्थिति पैदा नहीं हुयी है। वास्तव में, अन्तिम कार्यवाही वही है। जब तक नितान्त आवश्यक न हो, कोई भी हर बार इस अधिकार को इस्तेमाल नहीं करता।

श्री अ० प्र० जैन : नयी स्थिति में ऐसी क्या विशेष बातें हैं जिनसे पुरानी स्थिति बदल गयी है और ऋण वसूल करने में विलम्ब हो रहा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मूल करार में ऋण के पुनर्भुगतान के लिये यह उपबन्ध था कि यह वहां पर उत्पादित सभी वस्तुओं पर से नियंत्रण पूर्णतः हट जाने अथवा पूर्ण रूप से नियंत्रण हट जाने के आधार पर वापस किया जायेगा। अब नियंत्रण अंशतः हटा है। अतः यह नई स्थिति है और शर्तों के बारे में बातचीत की जा रही है।

श्री बी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि जहां तक ऋण के भुगतान का संबंध है, कुछ वस्तुओं पर से अंशतः नियंत्रण हटाया जाना हमारे पक्ष में है या विपक्ष में ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं समझता हूं कि इससे ऋण वसूल करने में स्थिति और हमारे पक्ष में होगी।

बिजली परियोजनाओं के लिये मशीनरी

+

*९९०. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री महेश्वर नायक : }

क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अब बिजली परियोजनाओं में प्रयोग में लाई जाने वाली मशीनों और उपकरणों का कोई मानक निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो देश में बिजली संयंत्र तथा अन्य उपकरण बनाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस क्षेत्र में देश की समूची आवश्यकता कब तक पूरी की जाने की आशा की जाती है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी : (क) बिजली परियोजनाओं के लिये उपकरणों के तकनीकी पहलुओं का यथासंभव हद तक मानकीकरण किया जा रहा है।

(ख) बिजली परियोजनाओं के लिये जनेरेटिंग सेटों की आवश्यकता का अधिकांशतः इस प्रकार आयोजन किया जाता है कि उसको भोपाल, हरिद्वार, हैदराबाद और त्रिचिनापल्ली में सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं द्वारा पूरा किया जा सके। भोपाल स्थित संयंत्र में ट्रांसफार्मर, स्विच-गेयर, कन्ट्रोलगियर, पावर ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, पावर ट्रांसफार्मर और ट्रैक्शन मोटर पहले ही बनाये जा रहे हैं। भोपाल में तापीय और जल-विद्युत टर्बो सेटों का निर्माण शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा और हैदराबाद और हरिद्वार संयंत्रों में इनका निर्माण तीसरी योजना के अन्त में या चौथी योजना के आरम्भ में आरम्भ किये जाने की संभावना है जब कि त्रिचिनापल्ली में बायलरों का उत्पादन आरम्भ हो जाने की संभावना है। गैर-सरकारी क्षेत्र में भी कम रेंज के ट्रांसफार्मर, स्विचगियर और मोटरेंबनायी जा रही हैं। किसी हद तक गैर-सरकारी क्षेत्र में तापीय संयंत्रों के लिये बायलरों का निर्माण भी आरम्भ किया गया है।

(ग) आशा है कि वर्ष १९७३–७४ तक विद्युत् उपकरणों की सारी आवश्यकता देश में ही पूरी हो सकेगी।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय हम किस देश से बिजली संयंत्र मशीनें और अन्य सामान आयात कर रहे हैं और क्या इन मशीनों के पुर्जे भी कथित कारखानों में से किसी में बनाये जायेंगे।

इस्पात, खान और भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : अभी हम लगभग उन सभी देशों से, जहां ऋण सुविधायें उपलब्ध हैं, आयात कर रहे हैं। स्पष्टतः जब हम विभिन्न बिजली परियोजनाओं का उत्पादन करेंगे तो हमें मौजूदा संयंत्रों के लिये फालतू पुर्जों के निर्माण पर भी विचार करना होगा।

श्री स० चं० सामन्त : इस समय हरिद्वार स्थित भारी बिजली संयंत्र किस प्रक्रम पर है और इसमें उत्पादन कब से आरम्भ होगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसमें वर्ष १९६६ में उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है।

श्री ब० कु० दास : बोकारो संयंत्र के लिये मशीनें संभरण करना किस हद तक संभव हो सकेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : भोपाल कारखाने में इस्पात संयंत्रों के लिये भी कुछ बिजली उपकरणों का उत्पादन किया जा सकता है और जहां तक हो सकेगा बोकारो के लिये इन बिजली उपकरणों का उत्पादन किया जायेगा।

श्री श्रीनारायण दास : यहां पर जो मशीनें बनायी जा रही हैं, उनके नमूने हमारे व्यक्तियों ने बनाये हैं या विदेशी विशेषज्ञों ने ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक भोपाल का संबंध है, हमारे परामर्शदाता ब्रिटेन के ऐसोसिएटेड इलैक्ट्रिकलस इंडस्ट्रीज हैं और वे ही ब्लू प्रिंट और डिजाइन देते हैं। जहां तक हरिद्वार का संबंध है, रूसी व्यक्ति नमूने देंगे और हैदराबाद में रामचन्द्रपुरम के लिये चैकोस्लोवाकिया वाले डिजाइन देंगे।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : उपमंत्री महोदय ने अभी अभी बतलाया कि जहां तक इन उपकरणों का संबंध है, हम वर्ष १९७३–७४ तक आत्म-निर्भर हो जायेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि रामचन्द्रपुरम में काम कार्यक्रम से पीछे क्यों है और यदि ऐसा है तो इस कमी को दूर करने और यह देखने के लिये कि इसमें यथासंभव शीघ्र उत्पादन हो, सरकार क्या उपाय करेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह कार्यक्रम से पीछे नहीं है, वास्तव में यह कार्यक्रमानुसार चल रहा है।

Shri Yashpal Singh : At present we are importing electrical equipment worth 36 crores of rupees. I want to know the extent of reduction that will be made in it by the end of the Third Five Year Plan.

Shri P.C. Sethi : We have imported during 1963-64 equipment worth 30 crores of rupees and not 36 crores of rupees. So far as the question of reduction is concerned, that can be effected by the end of the Fourth Plan or middle of the Fifth Plan.

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय जो जनरेटर, टर्बाइन और स्विचगियर बनाये जा र हैं वे उन परियोजनाओं में बनाये जा रहे हैं जो देश में इस समय चालू हैं अथवा ये मशीनें भी इसके अतिरिक्त बनायी जा रही हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अब विभिन्न परियोजनाओं और विभिन्न राज्य विद्युत् बोर्डों से सम्बद्ध हैं।

गारो पहाड़ियों में 'जिप्सम' के निक्षेप

\+
*९९१. { **श्री जेधे :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० बरुआ : }

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गारो पहाड़ियों में महेन्द्र गंज के समीप 'जिप्सम' के विस्तृत निक्षेप पाये गये हैं।

(ख) निक्षेपों की मात्रा का अनुमान लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में तथा इसके इर्दगिर्द 'जिप्सम' पर आधारित उद्योग स्थापित करने का विचार किया गया है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) और (ख) बताया गया है कि आसाम के भूतत्वीय और खान निदेशालय को गारो पहाड़ियों में महेन्द्रगंज के समीप गंगरायाडा में जिप्सम के निक्षेप मिले में। राज्य निदेशालय इस क्षेत्र में संभावित खनन के बारे में परीक्षण कर रहा है।

(ग) निक्षेप की मात्रा और गुण का मूल्यांकन किये जाने के बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री जेधे: देश में जिप्सम के अन्य संसाधन क्या हैं ?

श्री तिम्मय्या : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : राजस्थान में काफी मात्रा में जिप्सम होता है :

Shri Onkar Lal Berwa : At what places attempts were made to find out gypsum? Was any such attempt made in Rajasthan and if so, where and if not, why not?

Mr. Speaker : This question relates to Garo Hills.

श्री कपूर सिंह: इस क्षेत्र में कौन कौन से बड़े जिप्सम-आधारित उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उर्वरक।

श्री जेधे : कौन कौन से छोटे पैमाने के उद्योगों को जिप्सम की आवश्यकता है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या उपबन्ध किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह जिप्सम के बारे में एक सामान्य प्रश्न नहीं है।

भारत-जर्मन उपक्रम 'उतमल'

\+
*९९२. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री जेधे :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मन फर्मों के प्रतिनिधियों ने, रूरकेला के समीप मशीन निर्माण करने के लिये भारत जर्मन उपक्रम 'उतमल' के कार्य के क्षेत्र के संबंध में भारत सरकार के साथ चर्चा की थी ; और

(ख) 'उतमल' द्वारा किन किन वस्तुओं का निर्माण किये जाने का विचार है और कितनी राशि इस में लगाई जायेगी ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालयमें उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : 'उत्कल मशीनरी लिमिटेड', जिसको 'उतमल' कहा गया है, उड़ीसा राज्य में राउरकेला के समीप कंसबहर में चल रहा एक औद्योगिक उपक्रम है। एक भारत-जर्मन उपक्रम सार्थ को विभिन्न मशीनें बनाने के लिये स्थापित किया गया। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें उन वस्तुओं के बारे में बताया गया है, जिनके लिये इसको लाइसेंस दिया गया। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एलटी-२६६२/६४]** इस सार्थ के प्रतिनिधि समय समय पर परियोजना की समस्याओं के बारे में जिसमें इसका निर्माण कार्यक्रम भी शामिल है, सरकार के साथ बातचीत करते रहे हैं।

इस समवाय में कुल विनियोजन २५० लाख रुपये है जिसमें से पश्चिमी जर्मनी को तीन फर्मों का विनियोजन १६६ ६६५ लाख रुपये हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस भारत-जर्मन उपक्रम ने सरकार को इस बारे में बता दिया है कि तीसरी योजना के अन्त तक वे किन किन उपकरणों और मशीनों का निर्माण करेंगे ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : वे लगभग उन सभी मशीनों का निर्माण कर रहे हैं जो अनुसूची में बतायी गयी हैं। इसकी क्षमता १२,००० बतायी गयी है। इस समय वे ६००० टन मशीनें बना रहे हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या राउरकेला के जनरल मैनेजर के नेतत्व में एक तीन-सदस्यीय शिष्ट-मण्डल जर्मनी गया था ; यदि हां, तो वहां क्या संविदा किया गया ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह शिष्टमंडल राउरकेला परियोजना के बारे में है उसका इस परियोजना से कोई संबंध नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम : उत्पादन के लिये निर्धारित समय क्या था और क्या नीतियों और ठेकों में कुछ त्रुटियों के कारण इसमें विलम्ब हुआ है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक मुझे पता है, नहीं। यह कुशल यूनिट है जो कि कार्यक्रमानुसार चल रहा है ।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या इन उपकरणों का देश में उत्पादन किया जायेगा या आयातित पुर्जों की कोई आवश्यकता होगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: यह उत्पादन किये जाने वाले उपकरण पर निर्भर है। कुछ उपकरणों में विदेशी पुर्जों की आवश्यकता है ही।

श्री जेधे : इस उपक्रम में जर्मन टैक्निशियनों की क्या संख्या है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे पास इसमें जर्मनों की ठीक संख्या नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस सार्थ में भारतीय साझेदार कौन हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेसर्ज लारसन एण्ड टूबरो।

भिलाई और दुर्गापुर में कच्चे लोहे के लिये धमन भट्टी

+
*६६३. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में कच्चे लोहे की मांग को पूरा करने के लिये भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में अतिरिक्त धमन भट्टियां लगाने का विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस से कच्चे लोहे की कितनी मांग पूरी की जा सकेगी; और

(ग) क्या इस्पात फैक्टरियों के निर्माण में सहयोग देने वाली फर्मों की सहायता से धमन भट्टियां लगाई जायेंगी ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) से (ग). जी, हां । चतुर्थ योजना के विकास कार्यक्रम की प्रत्याशा में दो धमन भट्टियां स्थापित करने का प्रस्ताव है—एक भिलाई इस्पात संयंत्र में और दूसरी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में । इनके बीच इन भट्टियों में इस्पात निर्माण सुविधाएं होने तक लगभग १० लाख टन कच्चे लोहे के उत्पादन की आशा है । आयात किये जाने वाले संयंत्र और उपकरण के लिये क्रयादेश देने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

श्री सुबोध हंसदा : इन दोनों संयंत्रों की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता कितनी है और यह विदेशी मुद्रा की आवश्यकता विश्व बैंक ऋण से पूरी की जायेगी अथवा हिन्दुस्तान स्टील से ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : इसका अभी पता लगाया जाना है क्योंकि जहां तक सम्भव है, इन दो धमन भट्टियों के लिये देशी सामान ही इस्तेमाल किया जायेगा । भिलाई के लिये हम रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में सुविधाओं का उपयोग करेंगे । उदाहरणतः अन्य बातों के सम्बन्ध में उटकल में भी धमन भट्टी के कुछ भाग बनाये जा सकते हैं । अतः फौरन ही विदेशी मुद्रा के बारे में बताना सम्भव नहीं है ।

श्री सुबोध हंसदा : वर्तमान धमन भट्टी केवल न्यूनतम निर्धारित क्षमता तक ही पहुंची है और इसमें इतना उत्पादन नहीं हो रहा है जितने के लिये इसको स्थापित किया गया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह लक्ष्य क्यो प्राप्त नहीं कर सकी है और इसमें क्या कठिनाइयां हैं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ये धमन भट्टियां अभी बनायी जानी हैं क्योंकि ये नई धमन भट्टियां हैं जो भिलाई और दुर्गापुर में स्थापित की जायेंगी ।

श्री सुबोध हंसदा : मेरा प्रश्न यह है कि मौजूदा संयंत्रों में उत्पादन केवल न्यूनतम निर्धारित स्तर पर हो रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह लक्ष्य प्राप्त क्यों नहीं कर सकी है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि उत्पादन न्यूनतम निर्धारित स्तर पर होता है, तो यह काफी संतोषजनक है ।

564 (Ai) LSD—2.

श्री सुबोध हंसदा : न्यूनतम निर्धारित क्षमता कुछ और है और लक्ष्य कुछ और है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या दुर्गापुर और भिलाई संयंत्रों के सहयोगियों के साथ किये गये करारों में इस बात का कोई उल्लेख है कि इन संयंत्रों का कब विस्तार किया जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं । ये चतुर्थ योजना विकास कार्यक्रम की प्रत्याशा में हैं । क्योंकि हमारे पास कच्चे लोहे की कमी है, अतः हम ने सोचा कि हम इन धमन भट्टियों को पहले ही स्थापित कर लें ताकि दो तीन वर्षों तक हम इन धमन भट्टियो से कच्चे लोहे के उत्पादन से लाभ उठा सकें ।

Shri Yashpal Singh: What will be the number of these furnaces and the expenses to be incurred upon them?

Shri P. C. Sethi: So far as cost is concerned, it has not been worked out so far and as far the furnaces, one will be at Bhilai and the other at Durgapur.

श्री मुरारका : इस धमन भट्टी की प्रतिदिन क्षमता क्या होगी और क्या सरकार को यह भी पता चला है कि अमेरिका में अब ३,००० से ४,००० टन प्रति दिन की क्षमता वाली धमन भट्टी को अधिक लाभप्रद समझा जाता है और नये संयंत्र में इसी प्रकार की भट्टियां लगायी जाती हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह हर देश में प्रौद्योगिकी के विकास पर निर्भर है। निस्सन्देह धमन भट्टियों का आकार हर वर्ष बढ़ रहा है । जहां तक संभव है हम भी प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ चल रहे हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इसमें कुल विनियोजन का हिसाब लगा लिया है और यदि हां, तो धनराशि कितनी है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हर धमन भट्टी पर ६ से ७ करोड़ रुपये तक खर्च होंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय के कथनानुसार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे पास कच्चे लोहे की कमी है जिसके लिये अतिरिक्त धमन भट्टियां स्थापित की जा रही हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस कमी को विदेशों से कच्चा लोहा आयात करके पूरा करने की संभावना है और यदि हां, तो किन देशों से आयात किया जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां । हम रूस से कच्चा लोहा आयात करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : प्रत्येक धमन भट्टी की दैनिक उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इनमें प्रति वर्ष लगभग ३००,००० टन का उत्पादन होगा ।

खेत्री तांबा परियोजना

+

*६६४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेत्री तांबा परियोजना प्रायः रुकी पड़ी है ;

(ख) वर्ष प्रति वर्ष का मूल निर्धारित कार्यक्रम क्या है और कितनी प्रगति हुई है;

(ग) अब तक कितनी राशि खर्च की गई है और अब कितनी व्यवस्था की गई है; और

(घ) विदेशी मुद्रा की आवश्यकता सम्बन्धी स्थिति क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री के सभासचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) जी, नहीं । निर्माण कार्य चल रहा है ।

(ख) मूलत: इस परियोजना के १९६५ के मध्य तक पूरा होने का कार्यक्रम था । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। जिसमें यह बताया गया है कि कितनी प्रगति हुई है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २६८०/६४]**

(ग) फरवरी, १९६४ के अन्त तक ९३ ·६४ लाख रुपये खर्च किये गये । वर्ष १९६३–६४ का पुनरीक्षित आयव्ययक उपबन्ध ७० लाख रुपये है । वर्ष १९६४–६५ का आयव्ययक उपबन्ध ९० लाख रुपये है ।

(घ) विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विदेशी ऋण प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : कल वित्त मंत्री महोदय ने बताया था कि इन परियोजनाओं में कुछ तकनीकी कठिनाइयां हैं और इसीलिये इसमें विलम्ब है । जब कि विवरण में एसी कोई बात नहीं बतायी गयी है मंत्री महोदय का यह कहना है कि वे धन प्राप्त नहीं कर सके हैं और इसलिये विलम्ब हो रहा है । क्या वे इन दो वक्तव्यों के बीच स्थिति और असमानता को स्पष्ट करेंगे ? यह कैसे हो सकता है कि आप राजस्थान के लिये धन प्राप्त नहीं कर सके हैं जब कि आप के पास अन्य विभिन्न राज्यों के लिये ५०० करोड़ रुपये हैं ।

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): प्राथमिकताएं राज्यों के आधार पर निर्धारित नहीं की जाती हैं । यह परियोजना के आधार पर है । मैं इस बात को मानता हूं कि यह भी प्राथमिकता परियोजना है । **(अन्तर्बाधा)** माननीय सदस्य बड़े उतावले हो रहे हैं क्योंकि वह समझते हैं कि राजस्थान की उपेक्षा की गयी है । हर राज्य का हर सदस्य यही रवैया अपनाता है । जहां तक इस परियोजना का सम्बन्ध है इसमें एक तकनीकी समस्या भी है क्योंकि यह बात विवादास्पद है कि तांबा गलाने के लिये क्या तरीका अपनाया जाये । अब इस पर विचार किया जा रहा है और मुझे आशा है कि अपनाये जाने वाले तरीके के बारे में शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा । परन्तु इसके अतिरिक्त, इसके लिये हमें विदेशी मुद्रा भी चाहिये । उन्होंने विदेशी मुद्रा के साधन ढूंढ लिये हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उनका कहना है कि वे निधि प्राप्त नहीं कर सकते हैं । मेरा प्रथम प्रश्न यह है । यह बात नहीं है कि मैं अपने राज्य के बारे में प्रश्न पूछ रहा हूं । मैंने कभी अपने राज्य के बारे में प्रश्न नहीं पूछा **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रश्न अध्यक्ष महोदय से पूछे जायें और मंत्री से नहीं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जब कि वे विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं के लिये ५०० करोड़ रुपये की व्यवस्था कर सके हैं और जब कि यह परियोजना प्राथमिकता परियोजना है, तो वे इस विशेष परियोजना के लिये धन की व्यवस्था क्यों नहीं कर सके हैं ? मैंने यह प्रश्न पूछा था और मैं इसका उत्तर चाहता हूं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह प्रश्न वित्त मंत्री और योजना आयोग से पूछा जाये जो इन विभिन्न परियोजनाओं के लिये संसाधनों का आवंटन करते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मंत्री महोदय का योजना आयोग से और वित्त मंत्री से सम्पर्क है और क्या उन्हें पता है कि कल वित्त मंत्री ने सदन में बताया था कि धन के बारे में कोई कठिनाई नहीं है ? जब उन्होंने योजना आयोग से और वित्त मंत्री से बातचीत की, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उन्होंने इस प्रयोजन के लिये ऋण संसाधनों की व्यवस्था करने में भरसक प्रयत्न करने का आश्वासन दिया।

Shri Kashi Ram Gupta : Is it a fact that one of the reasons for delay is that minerals there are not available as assessed earlier? If not what are the actual reasons for the dealy and by what time it is expected to be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri P. C. Sethi): It is not correct. There minerals are available as per assessment.

Shri Kashi Ram Gupta : By what time it is expected to be completed?

Mr. Speaker : He says, there is no delay.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसमें तांबे का अंश एक प्रतिशत है जो कि बहुत कम है। लेकिन फिर भी हमें परामर्श दिया गया है कि इसको भी निकाला जा सकता है।

श्री काशी राम गुप्त : प्रश्न यह है कि सरकार वर्ष १९६५ के बाद कब तक इसको पूरा कर सकेगी।

श्री तिम्मय्या : इसको पूरा करने की अस्थायी तिथि वर्ष १९६६ के मध्य तक है।

Shri Onkar Lal Berwa : We asked for funds from U.S.A. for the exploitation of this mine. May I know the amount asked for and the reply of U.S. Government?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम कनाडा से, जहां से उपकरण का आयात किया जा सकता है ऋण प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि यह संभव नहीं है, तो हम अमरीका से भी ले सकते हैं; इसके लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : We just asked for 10 crores.......

Mr Speaker : Order, Order.

श्री श्याम लाल सर्राफ : इस कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो जाने पर तांबे का कुल उत्पादन अधिक से अधिक कितना हो जायेगा और इस कारखाने से उत्पाद से हमारी कितनी आवश्कतायें पूरी होगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसमें लगभग २०,००० टन का उत्पादन होगा ।

श्री मुरारका : क्या यह सच नहीं है कि इस परियोजना पर कार्य लगभग तीन वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ था और अभी तक भी इसके लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था नहीं की गयी है, और यदि हां, तो सरकार इस परियोजना को निर्धारित अवधि में कैसे पूरा कर सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : निर्धारित अवधि १९६५ का मध्य है । इसमें एक वर्ष और लगेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि इस परियोजना के लिये मूल परामर्शदाता बदल दिये गये हैं और परामर्शदाता फीस के रूप कितना धन व्यय करना पड़ेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अभी उनको बदला नहीं गया लेकिन यदि उनको बदलना पड़ा तो इसमें मुझे आश्चर्य नहीं होगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस परियोजना के बारे में परामर्शदाता शुल्क के रूप में कितना धन रखा गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : परामर्शदाता शुल्क के ठीक आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

Shri Tan Singh : The hon. Minister told that this project will be completed by July, 1966. But in their statement there is provisions of sinking shafts upto a depth of 762 metres, whereas they reached only upto the depth of 23 metres. I think that this work is being carried on a departmental basis. Do they expect to complete this work by July, 1966 without making a change in the Agency?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं इस बात को मानता हूं ७६२ मीटर में से केवल २३·७ मीटर की गहराई तक ही पहुंचा गया है । हम इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या इस शाफ्ट को लगाने के बारे में देशी साधनों का उपयोग करना संभव हो सकेगा । मेरी अपनी धारणा यह है कि कोलार स्वर्ण क्षेत्र संघ यह काम संभाल सकेगा ।

उड़ीसा और बिहार में मेंगनीज़ तथा लौह अयस्क खानें

+

*९९५. {**श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :}

क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६३–६४ में उड़ीसा और बिहार में मैंगनीज तथा लौह अयस्क खानों में उत्पादन कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या): (क) उड़ीसा और बिहार में १९६३–६४ में लोह अयस्क का उत्पादन बढ़ता रहा है। मैंगनीज अयस्क का उत्पादन १९६२–६३ के पहले दस महीनों की तुलना में १९६३–६४ के पहले दस महीनों में कुछ कम रहा।

(ख) मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में कमी का कारण यह था कि इसकी विदेशों से मांग कम रही।

बिहार और उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा पट्टों के नवीकरण न किये जाने के कारण कुछ खानों में काम बन्द रहा, इसका भी उत्पादन पर असर पड़ा।

(ग) मैंगनीज अयस्क उद्योग को सहायता देने के लिये सरकार ने निर्यात किये जाने वाले मैंगनीज अयस्क पर माल भाड़े में रियायतें दी हैं। निर्यात को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से मैंगनीज अयस्क के निर्यातकों को इस बात की इजाजत दी गई है कि वे मैंगनीज अयस्क के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की १० प्रतिशत तक की राशि का उपयोग अपनी खानों में सुधार के लिये उपकरण और मशीनों का आयात करने में कर सकेंगे। मैंगनीज अयस्क उद्योग से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक समिति भी नियुक्त की गई है।

श्री रामचन्द्र उलाका: क्या समिति ने उड़ीसा और बिहार में मैंगनीज और लौह अयस्क खान उद्योग की समस्याओं के संबंध में सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है, और यदि हां, तो क्या सिफारिशें की गई हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री तिम्मय्या: अभी तक प्रतिवेदन नहीं दिया गया है।

श्री रामचन्द्र उलाका: क्या उड़ीसा और बिहार के खान मालिकों को, खानों के सुधार के लिये मशीनों और उपकरणों के आयात के संबंध में, किन्हीं कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है? यदि हां, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री तिम्मय्या: हमारी जानकारी में कोई कठिनाई नहीं लाई गई है।

श्री धुलेश्वर मीना: क्या यह सच है कि उड़ीसा और बिहार के विभिन्न खान क्षेत्रों में लौह अयस्क इकट्ठा होता जा रहा है, क्योंकि राज्य व्यापार निगम उसे नहीं खरीद रहा है? यदि हां, तो न खरीदने के क्या कारण हैं?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): मैं नहीं समझता कि लौह अयस्क भारी मात्रा में इसलिये जमा हो गया है कि राज्य व्यापार निगम ने उसे नहीं खरीदा।

श्री ल० ना० भंजदेव: अयस्क का निर्यात करके कुछ हद तक इस्पात आयात करने की अनुमति दी गई थी। क्या इसे बन्द किया जा रहा है अथवा यह अभी भी जारी है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सामान्यतः मैं इस वस्तु विनिमय के विरुद्ध हूं कि इस्पात या अन्य वस्तुएं मंगाई जायें और घाटा पूरा करने के लिये उन्हें ऊंचे मूल्यों पर बेचा जाये। यदि हानियां होती हैं तो उन्हें सीधे रूप से राज्य सहायता द्वारा पूरा किया जाना चाहिये। हम वस्तुविनिमय के आधार पर माल को आयात करने और फिर इसे यहां पर चोरबाजारी दरों पर बेचने की प्रणाली को बन्द कर रहे हैं।

श्री शशिरंजन : क्या उत्पादन में कमी का कारण यह है कि खान मालिकों को पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती?

श्री तिम्मय्या : जी नहां इसका कारण राज्य सरकार द्वारा लाइसेंसों के नवीकरण न करने के कारण कुछ मिलों का बन्द होना है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इन दो क्षेत्रों में उच्च श्रेणी का लौह अयस्क निकालने के लिये उचित सुविधाओं की कमी के कारण जहां तक लौह अयस्क के मूल्य का संबंध है हम विदेशी मंडी में मुकाबिला करने के योग्य नही है? यदि हां, तो सरकार इस प्रकार के अयस्क को यथा संभव शीघ्र निकालने के लिये क्या प्रबन्ध करना चाहती है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : निर्यात के लिये जितनी मात्रा आवश्यक है उसका हम पहले से ही पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं। अतः जब निर्यात की मांग और बढ़ जायेगी तब हमारे लिये उत्पादन बढ़ाना भी सम्भव हो जायेगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : लौह अयस्क के संबंध में उपकरणों और मशीनों में नवीकरण करने के लिये सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक सम्भव होता है, हम सरकारी क्षेत्र में खनन के नवीन तरीके प्रयोग में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र में छोटे खान मालिकों के लिये ऐसा करना संभव नहीं है।

श्री दे० जी० नायक : क्या यह सच है कि अनेक मैंगनीज खानें बन्द हो गई हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री तिम्मय्या : बिहार में एक महत्वपूर्ण खान इसलिये बन्द हो गई कि राज्य सरकार ने उसका लाइसेंस नया नहीं किया।

श्री रंगा : क्यों?

श्री तिम्मय्या : दूसरी खान इसलिये बन्द हुई कि इसके पास 'साइडिंग' की सुविधा नहीं थी।

काश्मीर में एक मतपेटी (बैलट बाक्स) प्रणाली

*९९६. **श्री यशपाल सिंह** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और काश्मीर सरकार ने चुनाव आयोग से कहा है कि राज्य में चुनाव कराने के लिये एक मतपेटी (बैलट बाक्स) (चिन्ह लगाना) प्रणाली लागू की जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Yashpal Singh : Has the attention of the Government of India been drawn to the Statement made yesterday by Shri Sheikh Abdullah alleging that the elections held in Kashmir were fake and not impartial or fair? If so, is it not a challenge to the Constitution of India?

Mr. Speaker : His question relates to ballot box. Let him confine his supplementaries to that subject.

Shri Yashpal Singh.. : Will the hon. Minister be pleased to state as to why two methods were in vogue till now? Why different methods were followed in Kashmir and rest of India?

Shri Kachhvaiya : Their Head of the State is separate and their symbol is different.

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : इस मामले का फैसला काश्मीर सरकार कर सकती है। उसे जन प्रतिनिधान अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा जिसमें यह व्यवस्था है कि मतदान बैलट द्वारा होना चाहिये। मैं सभा को सूचित कर दूं कि काश्मीर सरकार ने पहले से ही चुनाव आयोग से चिन्ह पद्धति के बारे में आवश्यक जानकारी भेजने के लिये कहा हुआ है, और अब वह इसका अध्ययन कर रहा है।

Shri Yashpal Singh : May I know the time by which this disparity would be removed?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यह उनके विचार करने की बात है, और यदि वे इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि चिन्ह पद्धति को समस्त राज्य के लिये अपनाना चाहिये अथवा उसके एक भाग के लिये तो इसके लिये उन्हें चुनाव कानून में संशोधन करना पड़ेगा।

श्री कपूर सिंह : क्या शेख अब्दुल्ला द्वारा कल संवाददाता सम्मेलन में कही गई इस बात में कोई सचाई है कि काश्मीर में अब तक जो चुनाव हुए हैं वे उचित नहीं हुए हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत सामान्य प्रश्न है।

श्री स्वैल : क्या शेख अबदुल्ला की कल की बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार यह नहीं समझती कि एक-मत पेटी की व्यवस्था लागू करना स्वयं इसके हित में होगा?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सर्वथा भिन्न प्रश्न है।

श्री श्रीनारायण दास : क्या चुनाव आयोग को काश्मीर की विधान सभा तथा संसद् के चुनावों के संबंध में अधिकार प्राप्त हैं?

श्री बिभुधेन्द्र मिश्र : जम्मू तथा काश्मीर के संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत, जहां तक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने का संबंध है, इसका अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है उसे तो केवल चुनाव कराने और चुनाव नामावली तैयार कराने का अधिकार है।

Shri Tulshi Das Jadhav : Was the decision regarding method followed during elections in Kashmir taken by the Central Government or by the State Government?

Mr. Speaker : State Government.

श्री बिभुधेन्द्र मिश्र : अभी माननीय मंत्री ने बताया कि नामावली राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाती है। क्या काश्मीर के लिए भिन्न कानून रखने का अर्थ राज्यों के बीच परस्पर भेद-भाव बरतना नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : उनका अपना जन प्रतिनिधान अधिनियम है।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister stated that the Kashmir Government got information from the Election Commission regarding the recent mode of elections. May I know whether the Central Government have asked the State Government to adopt this method of election with a view to bring about this uniformity in the elections in the Country ?

श्री बिभुधेन्द्र मिश्र : जैसा कि मैंने बताया, जम्मू तथा काश्मीर के प्रधान मंत्री ने राज्य विधान सभा में एक वक्तव्य में बताया कि वह चिन्ह पद्धति को अच्छा समझते हैं, और व अब इसका अध्ययन कर रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : जहां तक मुझे याद है, प्रधान मंत्री ने कुछ समय पहले बताया था कि चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार जम्मू तथा काश्मीर तक बढ़ा दिया गया है। तो क्या हम यह समझें कि वह क्षेत्राधिकार पूरा नहीं हुआ है अथवा केवल आंशिक ही है ?

अध्यक्ष महोदय : वहां पर अभी भी पृथक, जन प्रतिविधान अधिनियम है। प्रधान मंत्री ने अपनी इच्छा प्रकट की थी। अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा। उन्होंने इन सब प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं।

कपड़े का निर्यात

+

*९९८. { **श्री मा० ल० जाधव** : **श्री जेधे** : **श्री लोनीकर** : }

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारखाना क्षेत्र, विद्युत करघा क्षेत्र तथा हथकरघा क्षेत्र को कपड़े के निर्यात के लिए क्या विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र ने कितना निर्यात किया है और प्रत्येक से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २६८१/६४]

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्री मा० ल० जाधव : क्या मिल के कपड़े को विद्युत् कपड़े के मुकाबिले में निर्यात के लिये अधिक सुविधाएं दी जाती हैं।

श्री कानूनगो : जी नहीं, व्यापार के तरीके को विचाराधीन रखते हुए यह लगभग समान है।

श्री मा० ल० जाधव : क्या यह सच है कि मिल के कपड़े के मुकाबिले में विद्युत करघा कपड़े की निर्यात मंडी अधिक अच्छी है ?

श्री कानूनगो : यह आवश्यक नहीं है। यह कपड़े की किस्म और व्यापार के तरीके पर निर्भर है।

श्री जेधे : भारतीय मंडी दर के मुकाबिले में निर्यात दर का क्या अनुपात है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत कपड़ा निर्यात किया जा रहा है।

श्री जेधे : जी नहीं, विदेशी मुद्रा के साथ क्या अनुपात है ?

श्री कानूनगो : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कपड़े के समस्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का क्या अंश है। मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री रंगा : क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष या इससे अधिक समय से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को भारतीय हथकरघे के कपड़े का निर्यात घट रहा है, और यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

श्री कानूनगो : समस्त रूप से हथकरघा के कपड़े का निर्यात बढ़ रहा है, परन्तु यह सच है कि दक्षिण पूर्व एशिया की मंडियों को निर्यात घट रहा है। इसका कारण यह है कि स्थानीय सरकारों ने व्यापार के बारे में प्रतिबन्ध के कानून लागू कर दिए हैं... (**अन्तर्बाधाएं**)।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या यह सच है कि मद्रास की हथकरघा संस्था को भारी हानि हुई है क्योंकि वह कच्चे सामान की कमी के कारण क्रयादेशों का पालन नहीं कर सकी ?

श्री कानूनगो : जी, नहीं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि लंका के साथ हमारा कपड़े का व्यापार कम हो गया है और इसका एक कारण यह है कि हम उनसे उतना नारियल नहीं खरीदते जितना कि हम खरीदना चाहते हैं और इसी लिए उनकी कपड़े की खरीद कम हो गई है। इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री कानूनगो : व्यापार में कमी का यह भी एक कारण है, परन्तु मुख्य कारण यह है कि लंका में कपड़े का अधिकांश व्यापार भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा किया जाता था, और एक हाल के कानून से भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा कपड़े का व्यापार करना निषिद्ध कर दिया गया है।

श्री त्यागी : वर्ष में कुल कितने मूल्य का कपड़ा आयात किया गया और प्रोत्साहन के लिए कितनी राशि के आयात की अनुमति दी गई ?

श्री कानूनगो : मैंने उत्तर दे दिया है कि जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या कारण है कि हम अधिक नई मंडियां नहीं प्राप्त कर सकते ? क्या इसका कारण यह है कि बहुत से नए विकासशील देशों में हमारे प्रदर्शन कक्ष (शो रूम्स) कक्ष नहीं हैं ?

श्री कानूनगो : कपड़े के व्यापार में प्रदर्शन कक्ष का बड़ा महत्व नहीं है।

श्री शंकरय्या : क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि विद्युत करघा पर तैयार किए गए कपड़े के निर्यात के लिए जो प्रोत्साहन दिया जाता है उससे निर्यातकों को ही लाभ पहुंचता है न कि बुनने वालों को, और इस लिए बुनने वाले अच्छी किस्म के कपड़े नहीं बना रहे हैं, और यदि हां, तो अच्छी किस्म के कपड़े को बुनने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री कानूनगो : जिन कपड़ों को भारत में हम अच्छी किस्म का कहते हैं उनका आवश्यक रूप से निर्यात नहीं किया जाता। जहां तक प्रोत्साहन देने के प्रश्न का संबंध है, इसका तरीका ढूंढना पड़ेगा। उदाहरणतया, रंग और रसायन जो कि बुनने वालों द्वारा इस्तेमाल में नहीं लाए जाते उन्हें 'प्रोसेसिंग' संस्थापनाओं द्वारा काम में लाया जाएगा।

श्री त्यागी : क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : वे किसी अन्य समय पर पूछ सकते हैं . . . . . .

श्री कानूनगो : क्या मैं कह सकता हूं. . . .

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति : जब मैं किसी प्रश्न के उत्तर देने की अनुमति नहीं देता तो उसके उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवमूर्ति स्वामी: क्या यह सच है कि हथकरघा कपड़ा और वस्तुएं पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बहुत कम मात्रा में निर्यात की गईं ?

श्री कानूनगो : जी नहीं, निर्यात की कुल मात्रा अधिक है।

MOVEMENT OF COAL

***999. Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Steel, Mines and Heavy Engineering** be pleased to state :

(*a*) whether by the statement which he recently made in Lok Sabha regarding the free movement of coal by railways or trucks it is meant that no control exists on coal and that a consumer whether new or established is free to procure coal in any quantity and from any coal mine ; and

(*b*) if, so whether the official policy in the matter will be stated and a copy of the Government notification laid on the table?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri P.C. Sethi) : (a) and (b) : It would not be correct to say that Government have abolished all the existing controls on coal. But taking into consideration the present production, which has outstripped the demand, the following relaxations have been given :—

(*a*) There are no quota restrictions, and, subject to gradewise entitlement, consumers can ask for additional quantities of coal irrespective of their quota.

(*b*) Such additional supplies may be asked for direct from the Coal Controller without the necessity of consumers going through sponsoring authorities or the State Coal Controllers. But consumers of brick-burning coal and soft coke are still required to go through the State Coal Controllers, as these supplies are made through block rakes under a planned movement.

(*c*) In the case of all industrial consumers, the choice of collieries is already there. There is, however, no freedom of choice in the case of brick-burning coal and soft coke, because of the system of planned movement in block rakes.

A copy each of the two press notes issued in this regard is laid on the table of the House. [*Placed in the Library. Please see No. L.T.* 2682/64.].

Shri Ram Sewak Yadav : It has been stated that consumers may get supplies of coal in any quantity they require. May I know the arrangements made for making supplies of coal available to the new consumers desirous of starting a brick burning industry or any other industry?

इस्पात,खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : जी हां । नए उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता का कोयला मिल सकेगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी ।

Shri Ram Sewak Yadav : Is it a fact that the present production of coal has outstripped the demand as a result of low utilisation of coal in industries because of its being of inferior quality, if that is so, what action is being taken to improve the quality?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : आम तौर से निम्न श्रेणी के कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है जिसका अब पर्याप्त उपयोग नहीं होता है । समस्या इस निम्न श्रेणी के कोयले का उपयोग करने की है और इसके उपयोग के लिए सरकार के कार्यक्रम को कल के वाद-विवाद में आपने उत्तर में मैंने बताया था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस समय कोयले की प्रचुर मात्रा में स्वीकृत उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये जिसकी वजह से कि उदार रूप से सम्भरण करना सम्भव हो सका है, क्या सरकार का खानों पर इकट्ठे हुए कोयले को उठा कर कम से कम घरेलू उपभोक्ताओं के लिये कोयले के मूल्य को कम करने का विचार है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : निम्न श्रेणी के कोयले के लिए हमने अधिकतम मूल्य निर्धारित कर रखा है और इस समय तो वस्ताव में यह कोयला अधिकतम निर्धारित मूल्य से २ रुपये या ३ रुपये प्रति टन कम मूल्य पर बिक रहा है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इसके लिये कोई प्रभावी उपाय किये हैं कि प्रथम श्रेणी के कोयले का ईंटों के भट्टे में उपभोग न किया जाये ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : भट्टों के लिये केवल निम्न श्रेणी के कोयले का उपयोग करने की अनुमति है, उच्च श्रेणी के कोयले के लिये नहीं ।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गत वर्ष आंध्र और मैसूर के तम्बाखू उगाने वालों को कोयले के सम्भरण के मामले में काफी कठिनाई हुई थी, क्या सरकार कुछ ऐसी कार्यवाही करने का प्रयत्न करेगी जिससे कि वे अभी अपने आर्डर देने के लिये प्रोत्साहित हों और कोयले के इकट्ठे हुए भारी स्टाक में से उन्हें आगामी औद्योगिक अवधि के लिए पहले ही से कोयला मिल सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम उपभोक्ताओं को इसके लिये प्रत्येक सम्भव प्रोत्साहन दे रहे हैं कि अपने आर्डर पेशगी दें और अपनी आवश्यकताओं से कुछ अधिक कोयला ले लें जिससे कि वे काफी स्टाक रख सकें । आंध्र प्रदेश के तम्बाखू उगाने वालों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है ।

Shri Kashi Ram Gupta : The hon. Minister has stated that lwo-grade coal is now selling at Rs. 2 or Rs. 3 per ton below the ceiling price. May I know whether this price is likely to be reduced further and if so, what effect it will have on coal production ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मूल्य तो मांग और पूर्ति पर निर्भर करेगा ।

Shri Kashi Ram Gupta : Are prices are likely to be reduced further ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

प्रश्न संख्या १००० और १००१ के बारे में

अध्यक्ष महोदय : श्री राम हरख यादव ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमन्, प्रश्न संख्या १००१ भी इसी प्रश्न के साथ ले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि दोनों प्रश्न एक दूसरे से सम्बन्धित हैं अतः मैं समझता हूं कि उन्हें साथ-साथ लिया जा सकता है । क्या उन्हें साथ-साथ ले लें ।

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) : जी हां ।

पोलैंड की कोयला खनन मशीनें

*१०००. { **श्री राम हरख यादव** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलैंड ने कोयला खनन उद्योग के विकास में भारत की सहायता करना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या करार से दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा सांस्कृतिक सहयोग बढ़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो करार और इसके वास्तविक कार्यवहन का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) नौ गहरी कोयला खानों के विकास, एक कोयला धोने के कारखाने की स्थापना और कोयला खनन मशीनों के निर्माण के लिये एक संयंत्र की स्थापना करने में पोलैंड सरकार ने हमारी सहायता करने के लिये सहमति दी है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और पोलैंड की संस्था के बीच करार किये जा चुके हैं ; केन्द्रीय झरिया में गुडामडीह और मोनीडीह की दो गहरी कोयला खानों के विकास और गिडी में कोयला धोने के कारखाने की स्थापना के सम्बंध में कार्य की प्रगति हो रही है। दोनों के बीच वैज्ञानिक और प्रविधिक सहयोग, उच्च अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियों के देने, इंडियन स्कूल आफ माइन्स धनबाद में खनन विद्या में एक चेयर की स्थापना, चुने हुए नियमों पर वैज्ञानिक अनुसंधान के सम्बंध में व्याख्यान देने के लिये प्रोफेसरों के विनियम, और पोलैंड में भारतीय शिक्षकों को खनन प्रविधियों में प्रशिक्षण देने—इन सब क्षेत्रों में पोलैंड सरकार ने सहायता करना स्वीकार कर लिया है। सांस्कृतिक करार में, अन्य वस्तुओं दोनों देशों में कला प्रदर्शनियों, रेडियो प्रसारणों और चलचित्रों तथा चिकित्सा सम्बंधी समस्याओं के बारे में जानकारी के आदान प्रदान के लिये व्यवस्था की गई है ।

कोयला उद्योग

+

*१००१. **श्री द्वारका दास मंत्री :**
श्री बसुमतारी :
श्री रामपुरे :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला उद्योग के आयोजन का अध्ययन करने के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का उच्चाधिकार युक्त शिष्टमंडल पोलैंड जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमंडल के कौन कौन सदस्य हैं ; और

(ग) शिष्टमंडल के पोलैंड कब जाने की संभावना है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) जी, हां। भारत में पोलैंड के सहयोग से गहरी कूपक खानों का विकास करने के सम्बंध में यह शिष्टमंडल पोलैंड जा रहा है ।

(ख) शिष्टमंडल के सदस्य राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के योजना निदेशक, चीफ इंजीनियर (सिविल) तथा चीफ इंजीनियर (इलैक्ट्रिकल एण्ड मैक०) होंगे।

(ग) आशा है कि शिष्टमंडल इस महीने अथवा मई १९६४ के प्रारम्भ में पोलैंड जायेगा।

Shri Vishwa Nath Pandey : Will any persons from this country be sent to Poland for training purposes, under this agreement ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : जी, हां । उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : कोयले के गहरे खनन और अन्य बातों के सम्बंध में पोलैंड के साथ हुए करार के बारे में मंत्री महोदय ने जो कुछ बताया है उसी सम्बंध में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या र सरकारी क्षेत्र का कोयला उद्योग भी, जिसका उत्पादन सरकार की आशा के अनुकूल नहीं हो रहा है, पोलैंड सरकार के सहयोग में इस क्षेत्र में कार्य करेगा ?

श्री तिम्मय्या : गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग के विकास के लिये और उसे प्रोत्साहन देने के लिये, विश्व बैंक के ऋण को देने और गैर सरकारी उद्योग द्वारा उस ऋण के उपयोग के लिये मार्गोपाय की व्यवस्था करने के लिये एक कार्यक्रम पहले ही से चल रहा है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : करार की शर्तों के अनुसार पोलैंड सरकार का कुल कितने रुपये का विनियोजन होगा ?

श्री तिम्मय्या : पहला करार १४ करोड़ ३० लाख रुपये के लिये है । वे दो गहरी खानों और एक कोयला धोने के कारखाने का विकास करेंगे । हम विनियोजन के अनुसार कोयला नहीं दे सकते ।

इस्पात प्राथमिकता समिति

***१००३. श्री शशिरंजन** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात प्राथमिकता समिति बन गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह समिति किन परिस्थितियों में बनी है ; और

(ग) समिति के कृत्य क्या हैं तथा उसके सदस्य कौन कौन हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

इस्पात प्राथमिकता समिति की स्थापना, लोहे तथा इस्पात के आयोजन तथा वितरण सम्बंधी राज समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के अनुसरण में की गई है जिसे कि सरकार ने स्वीकार कर लिया था ।

समिति के कृत्य निम्नलिखित हैं :—

(१) प्राथमिकतायें निर्धारित करना ।

(२) प्राथमिकता के षट्माषिक आवंटन के सम्बंध में निर्णय करना ; और

(३) प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ताओं की विदेशी मुद्रा आवंटित करना ।

समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं :—

(१) सचिव, लोहा तथा इस्पात विभाग—सभापति ।

(२) सचिव, प्रविधिक विकास विभाग ।

(३) सचिव, योजना आयोग।
(४) सचिव, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)।
(५) लोहा तथा इस्पात नियंत्रक—सदस्य सचिव।

श्री शशि रंजन : किन बातों के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है ? क्या प्राथमिकता निर्धारित करते समय इस्पात की वास्तविकता उपलब्धि तथा रोजगार क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : पहली प्राथमिकता प्रतिरक्षा सम्बंधी मांगों को दी जाती है उसके बाद रेलवे परिवहन, संचार, मूल उद्योग, कृषि आदि को प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकतायें निर्धारित करते समय इस्पात की उपलब्धि को भी अवश्य ध्यान में रखा जाता है।

श्री शशि रंजन : प्राथमिकता वाली परियोजनाओं से अन्यत्र भी परियोजनायें हैं जिनमें २५ लाख व्यक्ति रोजगार पर लगे हैं। क्या सरकार उन परियोजनाओं को जो कि प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के क्षेत्र से बाहर हैं कोई निर्धारित प्राथमिकतायें करने के सम्बंध में विचार करेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के क्षेत्र से बाहर की परियोजनायें अपनी आवश्यकता का इस्पात बाजार से ले सकती हैं। प्राथमिकता का अर्थ यह है कि हम यह निर्धारित करते हैं कि किन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। यदि सभी को प्राथमिकता दे दी जायेगी तो फिर प्राथमिकता का तो कोई अर्थ ही नहीं रहेगा।

सरकारी उपक्रमों में पारिश्रमिक

+

*१००४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :
श्री महेश्वर नायक :
डा० मा० श्री० अणे :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा तैयार किये गए और संघ सरकार को पेश किए गए तिवेदन में यह सिफारिश की गई है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को उतना पारिश्रमिक देना चाहिए जितना गैर-सरकारी क्षेत्र में दिया जाता है जिससे कर्मचारी सरकारी क्षेत्र से गर-सरकारी क्षेत्र में बड़ी संख्या में न चले आयें ;

(ख) उक्त प्रतिवेदन में अन्य क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें अधिक महत्वपूर्ण शिफारिशों का उल्लेख किया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २६८३/६४]** ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : गैर सरकारी क्षेत्र में बहुत अधिक वेतन और उपलब्धियों के बारे में अधिकतम सीमा निर्धारित करना क्यों संभव नहीं है ?

श्री कानूनगो: इस प्रश्न के बारे में प्रतिवेदन में कहा गया है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि इस बारे में सरकार की क्या राय है कि सरकारी क्षेत्र की अधिकांश परियोजनाओं में बड़े बड़े प्रशासन अधिकारियों का जमाव है और इस सम्बंध में बड़ी भारी आलोचना हुई है कि व्यय बहुत अधिक हो रहा है तथा वे उत्पादन कम कर पा रहे हैं. . .

श्री रंगा : प्राक्कलन समिति ने यह बात कही है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जी, हां ! क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार इसे गैर सरकारी क्षेत्र के स्तर तक बढ़ाने के सम्बंध में विचार कर रही है अथवा केवल कुछ प्रवर्गों के मामले में इसे बढ़ाने और सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये जोर डालने का विचार कर रही है ?

श्री कानूनगो : क्योंकि मामला विचाराधीन है अतः इस समय मैं उसके परिणामों को नहीं जानता । प्राक्कलन समिति भी इस समस्या पर विचार कर रही है और मैं समझता हूं कि माननीय गृह-कार्य मंत्री यथासमय एक निष्कर्ष पर पहुच जायेंगे जो कि सभी उद्योगों पर लागू होगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट है कि इस सारे मामले पर विचार किया जा रहा है। क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि बहुत से अच्छे अच्छे सरकारी कर्मचारी--प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी--जो कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में कार्य कर रहे हैं अब पूर्ण असंतोष की भावनाओं को लेकर सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को छोड़ कर गैर सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में जा रहे हैं ; यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बंध में क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे कि जिससे उनके वेतनों में वृद्धि हो जाये और वे गैर सरकारी क्षेत्र की तुलना में बराबर हो जायें ?

श्री कानूनगो : इस समिति ने इन सब बातों का अध्ययन किया है । उन्होंने इस स्थिति का विश्लेषण किया है और उनके सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मंत्रिमण्डल के कुछ मंत्रियों ने जो कि सरकारी क्षेत्र की उपक्रमों के प्रभारी हैं माननीय मंत्री को इस आशा के पत्र लिखे हैं कि वेतन के वर्तमान ढांचे के कारण उनके कार्य में भारी बाधा पड़ रही है। और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि उन्होंने क्या विचार व्यक्त किये हैं।

श्री कानूनगो : मुझे इस प्रकार के कोई पत्र नहीं मिले हैं।

श्री मुरारका : क्या यह सच नहीं है कि लगभग एक वर्ष पहले गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र में लगे व्यक्तियों के लिये ५००० रुपये प्रतिमास की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी और जब यह बात अव्यवहारिक पाई गई तो इस आयव्ययक में वह अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गई है ?

श्री कानूनगो: गैर-सरकारी उद्योगों में प्राविधिक और प्रबन्धक कर्मचारियों के वेतन के संबंध में कोई दायित्व नहीं था। कानून इसकी अनुमति नहीं देता ।

564 (ai) LSD—3.

श्री श्रीनारायण दास : क्या यह सच है कि एक ही स्थान पर स्थित सरकारी क्षेत्र की उपक्रमों में दिये जाने वाले वेतन और नौकरी की अन्य बातों में अन्तर पाया जाता है ; यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कानूनगो : ये सब बातें और उनका विश्लेषण प्रतिवेदन में देखा जा सकता है जो कि संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

बॉल-बेयरिंगों का निर्माण

*१००६. **श्री यशपालसिंह** : क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बॉल बेयरिंग के निर्माण के लाइसेंस कुछ व्यक्तियों के पास ही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Yashpal Singh : When India is likely to become self-supporting in this matter ?

Shri P.C. Sethi : Our demand for the ball-bearings will be of the order of 150 lakhs units by the end of the Third Plan period and it is expect d to increase further during Fourth Plan period. But we would be able to become self-sufficient during the Fourth Plan period.

Shri Yashpal Singh : What is our total expenditure on imports of this item at present ?

अध्यक्ष महोदय : इनके आयात पर कितने प्रतिशत व्यय किया जा रहा है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं समझता हूं कि इस समय हम ४ करोड़ ५० लाख रुपये के मूल्य का आयात कर रहे हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : बॉल-बेयरिंग के उत्पादन की वार्षिक क्षमता कितनी है, क्या किसी नई क्षमता के लिये लाइसेंस दिये गये हैं और यदि लाइसेंस दिये गये हैं तो उत्पादन का लक्ष्य क्या होगा और उत्पादन कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : आजकल उत्पादन की वार्षिक क्षमता ६०,३८,५०० यूनिट की है । १२ या १३ और लाइसेंस दिये गये हैं जिनमें से ७ के मामले में विदेशी मुद्रा और सहयोग की व्यवस्था की कर दी गयी है, जिनकी क्षमता लगभग १,००,६२,००० यूनिट की है ।

Shri Sidheshwar Prasad : Who are our leading manufacturers of ball-bearings and what percentage of our demand is being met by their production ?

Shri P.C. Sethi : Three Companies are manufacturing ball-bearings at present : National Engineering Industry, Jaipur, Bharat Ball-bearing Company Limited, Ranchi and Anti-friction Bearing Company Limited, Lonawala. Present production of Jaipur, Ranchi and Lonawala Companies is of the order of 32·36 lakhs, 25 lakhs and 3·025 lakhs units respectively.

कपड़े तथा सूत के मूल्य

+

*१००७. { **श्री मा० ल० जाधव :**
श्री जेधे :
श्री लोनीकर :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना : }

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा मिलों को कपड़े तथा सूत के मूल्यों पर स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण रखने की अनुमति कितने समय से लागू है ;

(ख) क्या यह प्रणाली असफल रही है क्योंकि कपड़ा और सूत स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण से अधिक मूल्य पर चोर बाजार में बिक रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा गत पांच (वर्षों में वर्षवार आंकड़े देते हुए) सूत और कपड़े की कीमतों की तुलना में मूल्य देशनांक क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) सितम्बर, १९६० से ।

(ख) और (ग). जी नहीं । स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण योजना के लागू हो जाने के पश्चात् विभिन्न प्रकार के वस्त्रों तथा सूत के काउन्टों के मूल्य की स्थिति और उनका कुल सम्भरण पर्याप्त संतोषजनक रहा है । यदि हर प्रकार से सोचा जाये तो सामान्यतया उपभोक्ताओं को कपड़ा अंकित मूल्यों पर मिल रहा है और सूत के मूल्य भी योजना के अधीन निर्धारित कारखाने के मूल्यों के अनुसूची के अनुरूप हैं । आपात काल में सूती कपड़ों के मूल्य को स्थिर रखने की दृष्टि से, कारखाना मूल्यों पर कपड़े का सम्भरण सीधा ही उपभोक्ता सहकारी समितियों और उचित मूल्य वाली दुकानों को करने के लिये व्यवस्था की गई है और कई राज्य सरकारों ने इस सहायता से लाभ उठाया है । स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण योजना के कार्यकरण का इस समय एक समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया जा रहा है जिसका अध्यक्ष कपड़ा आयुक्त है तथा जिसके सदस्य उद्योग, व्यापार, श्रमिकों, उपभोक्ताओं और अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधि हैं । शीघ्र ही उसका प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है । कपड़े और सूत के थोक मूल्यों के वर्तमान देशनांकों के आंकड़ों को देखने से, जो कि नीचे दिये गये हैं, यह पता

लगता है कि जिस समय स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण योजना लागू की गई थी। उस समय से अब तक मूल्यों में बहुत थोड़ी सी वृद्धि हुई है :—

वर्ष जिसका औसत है	सूत (बेस १९५२–५३–१००)	मिल का बना कपड़ा
१९६०	१२६.०	१३१.८
१९६१	१२७.९	१३१.८
१९६२	१३२.२	१३१.७
१९६३	१३५.७	१३१.९
१९६४ (जनवरी से केवल २१ मार्च तक)	१३९.४	१३२.७

श्री मा०ल० जाधव : स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण योजना को प्रवर्तित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री कानूनगो : वह इसके विरोधी बात है। यह मूल्य नियंत्रण योजना स्वैच्छिक है।

अध्यक्ष महोदय : वह इसे प्रवर्तित करने के लिये कैसे कार्यवाही कर सकते हैं ?

श्री जेधे : क्या स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण का कपड़े के निर्यात पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

श्री कानूनगो : जी नहीं।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या यह सच है कि केवल कुछ सहकारी समितियों के सदस्यों को ही निम्नतम मूल्य वाला सूत मिल रहा है और अन्य सहकारी समितियों के सदस्यों को यह सुविधा नहीं मिल रही है ?

श्री कानूनगो : जी हां, कुछ सहकारी समितियां जिनका कार्य बहुत अच्छी तरह से चल रहा है अपनी आवश्यकता के सूत के लिये क्रयादेश दे देती हैं और उन्हें सूत उस मूल्य पर मिल जाता है जो कि बाजार के मूल्य से निश्चय ही कम है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विवरण में कहा गया है कि सूत के मूल्य कारखाना-मूल्यों की अनुसूची के अनुरूप हैं। क्या सरकार को यह ज्ञात है कि भारी मात्रा में सूत चोर बाजारी में बेचा जाता है और साधारण बुनकर को तो उचित मूल्य पर नहीं मिल पाता है ? यह जो देशनांक यहां दिखाये गये हैं उनमें भी सूत के मामले में मूल्यों में अधिक वृद्धि हुई दिखाई गई है : १९६० में १२६ से लेकर इस वर्ष वह बढ़कर १३९.४ तक पहुंच गये हैं। इस मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री कानूनगो : मुख्य बात यह है कि ८० काउन्टों से अधिक वाले काउन्टों के सूत की कमी है और यह भी इसका एक कारण है कि देशनांकों में वृद्धि हुई है। कुछ चहेते निर्माणकर्ताओं के सूत की कुछ किस्मों के लिये निश्चय ही अधिमान दिया जाता है। इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उपभोक्ता अधिमान का एक मामला है। निर्माणकर्ताओं के किसी विशेष समूह द्वारा बनाये गये ४० अथवा ६० काउन्टों वाले सूत को उपभोक्ता पसन्द करते हैं जब कि ठीक उसी किस्म के अन्य निर्माणकर्ताओं द्वारा बनाये गये सूत की मांग नहीं होती। ८० से १०० काउन्ट वाले सूत की कमी रही है और वह कमी लम्बे रेशे वाली कपास के कम सम्भरण के कारण है। हम स्थिति में यथासम्भव सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बता दूं कि मोटी किस्म का सूत भी, अर्थात् जो मरहमपट्टी के कपड़े और मच्छरदानियों के बनाने के काम में आता है, बुनकरों को उस नियंत्रित मूल्य पर नहीं मिल पाता है, जो कि आज स्वयं भी पांच वर्ष पहले के मूल्य से अधिक है ?

श्री कानूनगो : जैसा कि मैंने अभी बताया है ऐसा हो सकता है कि किसी विशेष निर्माणकर्ता का सूत उपलब्ध न हो परन्तु अन्य निर्माणकर्ताओं का सूत मिल जाता है। ऐसी स्थिति किसी विशेष राज्य में हो सकती है जहां कि सहकारी आन्दोलन कमजोर है।

श्री पु० र० पटेल : रुई के मूल्य पर अनिवार्य नियंत्रण है और अन्य वस्तुओं के मूल्य पर भी नियंत्रण है। फिर इसका क्या कारण है कि सूत और कपड़े के मामले में अनिवार्य मूल्य नियंत्रण नहीं रखा हुआ है?

श्री कानूनगो : जैसा कि मैंने बताया है ८० काउन्ट से ज्यादा वाले सूत से लिये लम्बे रेशे वाली रुई की आवश्यकता होती है जिसे आयात करना पड़ता है। उसका पर्याप्त मात्रा में आयात नहीं हुआ है और इसलिये इसकी कमी है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि माननीय मंत्री ने कपड़े के व्यापार और उद्योग में लगे हुए व्यक्तियों के साथ एक सम्मेलन आयोजित किया था ? केवल जनसाधारण ही इस बात को नहीं कहते हैं अपितु उद्योग में लगे व्यक्ति भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण पूरी तरह से असफल हुआ है और छपे हुए मूल्यों पर कपड़ा कहीं भी नहीं मिलता है। यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुझाव दिये गये थे और उन पर माननीय मंत्री ने प्रतिक्रिया स्वरूप क्या कार्यवाही की है ?

श्री कानूनगो : मैंने कोई सम्मेलन तो नहीं किया था परन्तु फेडरेशन आफ दी मिलओनर्स एसोसियेशन ने यह अभ्यावेदन किया है कि स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण के अनुसार कार्यवाही करना उनके लिये कठिन है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सुझाव दिये गये थे और उन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री कानूनगो : हम ऐसे मार्गोपायों को खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं जिनसे कि मूल्य पर नियंत्रण रखा जा सके।

श्री रंगा : इस बात को देखते हुए कि प्रत्येक राज्य में बुनकरों की एक केन्द्रीय सहकारी समिति है, चाहे आप उसे थोक व्यापार में लगे हुए लोगों की कहें अथवा अन्य लोगों की, इसका

क्या कारण है कि सरकार ने ऐसी समितियों के माध्यम से बुनकरों को सूत उपलब्ध कराने का प्रयत्न नहीं किया है? यदि इस समिति की शाखायें उपभोक्ता केन्द्रों अथवा बुनकर केन्द्रों वाले स्थानों पर न भी हों तो भी सूत को बुनकरों को समिति के द्वारा उपलब्ध कराने के लिये कुछ प्रयत्न किया जाना चाहिये।

श्री कानूनगो : यही सब कुछ किया जा रहा है। जहां पर ये केन्द्रीय समितियां सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं वहां पर सब ठीक ठाक है; परन्तु बहुत से स्थानों पर ऐसी बात नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

इलायची बोर्ड का गठन

*६६७. **श्री मलाइछामी** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक इलायची बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस के कब तक बनाये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). यह मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

अखबारी कागज

*१००२. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण गत २० महीनों में अखबारी कागज की कमी लगातार चलती चली जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो मांग को पूरा करने के लिये देश में अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) जी, हां।

(ख) स्थिति सुधारने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:

(१) दो गैर-सरकारी पक्षों को प्रति वर्ष ६०,००० टन अखबारी कागज बनाने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं।

(२) वर्तमान अखबारी कागज मिल को अपनी वर्तमान क्षमता को प्रति वर्ष ३०,००० टन से बढ़ा कर ७५,००० टन तक करने के लिये लाइसेंस दिया गया है।

(३) एक अन्य गैर-सरकारी पक्ष को कागज-एवं-अखबारी कागज संयंत्र स्थापित करने के लिए 'सहमति पत्र (Letter of Intent)' भेजा गया है।

(४) लिखने वाले और छपाई के ५००० टन कागज को अखबारों के लिये इस्तेमाल किये जाने की अनुमति दे दी गयी है।

सहायक उद्योगों की स्थापना

*१००५. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :

क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहायक उद्योगों की स्थापना के लिये ग़ैर-सरकारी क्षेत्र को सुविधायें देने का निर्णय किया है जिससे सरकारी क्षेत्र की विद्युत उपकरण परियोजनाओं के लिए आवश्यक पुर्जे मिल सकें ;

(ख) इस कार्य के लिये यदि कोई योजना बनाई गई है तो उसकी रूप रेखा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल ने मुख्य भारी बिजली संयंत्र के बिल्कुल निकट एक सहायक औद्योगिक बस्ती स्थापित की है ; आरम्भ में एनोडाइज्ड अल्युमीनियम लेबल, मशीनों के पेंच, औजार कक्ष के औजार केबल सोकेट, नट और बोल्ट और पेटियां बनाने के लिये ग़ैर-सरकारी उपक्रमियों द्वारा छः सहायक उद्योग आरम्भ किये गये हैं ; विकास की दूसरी प्रावस्था में ब्रास एक्सट्रूजन, होट ब्रास प्रेसिंग, स्टील फोर्जिंग, सूटी टेप, शीशे के टेप, पी० वी० सी० टेप और शीत पंखों के निर्माण के लिये सात और उद्योग स्थापित किये जायेंगे ।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल को आवश्यक वस्तुओं का जो ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के कारखाने निर्माण कर रहे हैं, उनको भी सुविधायें दी गयी हैं।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड की अन्य परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात

*१००८. { श्री महेश्वर नायक :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम के द्वारा कुछ अतिरिक्त वस्तुओं का आयात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम की इस योजना के अधीन किन वस्तुओं का आयात करने का विचार है और उनका अनुमानित मूल्य क्या होगा ; और

(ग) इस समय पुराने आयातकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले आयात व्यापार पर इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

उड़ीसा को अलौह धातुओं का आवंटन

२०३६. { **श्री धुलेश्वर मीना** :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६३-६४ में उड़ीसा को कितनी मात्रा में अलौह धातुओं का आवंटन किया गया ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने वर्ष १९६४-६५ में अभ्यंश में वृद्धि करने के लिये केन्द्र से प्रार्थना की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) वर्ष १९६३-६४ में उड़ीसा को अलौह धातुओं का आवंटन निम्न प्रकार है :

वस्तु	आवंटित मात्रा (मीटरिक टनों में)
तांबा	५३८
जस्ता	३२२
शीशा	६.४
टिन	३३.६
इलैक्ट्रोलिटिक अल्युमिनियम वायर रोड	
(१) देशी	४६
(२) आयातित	६१

(ख) और (ग). केन्द्रीय लघु उद्योग संघ द्वारा राज्यों को छोटे पैमाने के यूनिटों के लिये अलौह धातुओं की आवश्यकता के मूल्यांकन के बारे में किये गये निर्देश के उत्तर में उड़ीसा सरकार ने बताया है कि उनकी आवश्यकता पिछले वर्ष राज्य को किये गये आवंटन से अधिक होगी । राज्य सरकारों से छोटे उद्योगों की क्षमता के मूल्यांकन के बारे में समान तरीके अपनाने को कहा गया है और सभी राज्यों से आवश्यक आंकड़े प्राप्त होने पर छोटे यूनिटों के लिये अलौह धातुओं की आवश्यकता के मूल्यांकन के समूचे प्रश्न पर केन्द्रीय लघु उद्योग संघ द्वारा अखिल-भारत आधार पर विचार किया जायेगा ।

उड़ीसा को औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना

२०३७. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६३ में उड़ीसा मे औद्योगिक लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए; और

(ख) उन में से कितनों को लाइसेंस दिये गये और कितनों को लाइसेंस देने से इन्कार किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

उड़ीसा में रेशम-कीट पालन उद्योग का विकास

२०३८. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६३–६४ में उड़ीसा को रेशम-कीट पालन उद्योग के विकास के लिये वास्तव में कितना अनुदान तथा ऋण दिया गया ; और

(ख) इस कार्य के लिये राज्य को वर्ष १९६४–६५ में कितना धन दिया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) राज्य सरकारों को स्वीकृत योजनाओं पर किये गये व्यय के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है । क्योंकि उड़ीसा ने वर्ष १९६३–६४ में रेशम कीट पालन उद्योग के विकास के लिये कोई भी व्यय किये जाने के बारे में नहीं बताया, इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार को कोई वितीय सहायता नहीं दी गयी । तथापि, राज्य सरकार को वर्ष १९६३–६४ में वर्ष १९६२–६३ में किये गये व्यय के लिये बकाया भुगतान के रूप में निम्नलिखित सहायता दी गयी है :

ऋण . .	१.५७ लाख रुपये
अनुदान	०.९४ लाख रुपये

(ख) वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकृत परिव्यय ३.४८ लाख रुपये है।

इस्पात के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की अधिकतम सीमा

२०३९. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६३–६४ में उड़ीसा राज्य को इस्पात के आयात के लिये दी गयी विदेशी मुद्रा की अधिकतम सीमा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): वर्ष १९६३–६४ में उड़ीसा सरकार को लघु उद्योगों के लिये इस इस्पात के आयात आवेदन-पत्रों के लिये निर्बाध संसाधन से १४.७६ लाख रुपये और रुपया संसाधन से ३.६६ लाख रुपये आवंटित किये गये हैं।

ट्रैक्टरों का निर्माण

२०४०. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री रामपुरे :
श्री कोया :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देशी ट्रैक्टरों के निर्माण में की गयी प्रगति का पुर्नविलोकन करने के लिये पदाधिकारियों की एक समिति नियुक्त की है ; और

(ख) क्या समिति द्वारा सरकार को प्रतिवेदन दिये जाने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हथकरघा वित्त निगम

२०४१. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को हथकरघा वित्त निगम स्थापित करने की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने ये संस्थाएं स्थापित कर दी हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) केवल मद्रास सरकार ने सहकारी क्षेत्र के बाहर हथकरघा उद्योग को वित्तीय सहायता देने के लिये हथकरघा वित्त निगम बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा। राज्य सरकार से कहा गया है कि वह इस मामले पर भारत के रक्षित बैंक से बातचीत करे।

रूस को डिब्बों में बन्द फलों का निर्यात

२०४२. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुधांशु दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस में डिब्बों में बन्द फलों की मांग के बारे में कोई मंडी सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) क्या रूस को इन फलों और फलों के रसों के निर्यात के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां । जुलाई–अगस्त, १९६३ में मास्को में हुई भारतीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी के दौरान भारतीय डिब्बा-बन्द फलों और फलों के रसों के रूस को निर्यात किये जाने की सम्भावनाओं का पता लगाया गया । अपने उत्पादों का व्यापक प्रचार करने के लिये प्रदर्शनी में डिब्बा-बन्द फलों और फलों के रसों के नमूनों का प्रदर्शन किया गया और वितरण किया गया ।

(ख) रूस को डिब्बों में बन्द फलों और फलों के रसों के कुछ परेषण भेजे गये हैं ।

पटसन गोदाम

२०४३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता में जनवरी, १९६४ में हुई भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति की बैठक में की गयी मांग पर हाल ही में कलकत्ता के समीप राज्य व्यापार निगम के दो पटसन गोदामों में आग लग जाने के कारणों की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकाला ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) पहले अग्निकांड के मामले में जांच के अन्तिम परिणाम उपलब्ध नहीं हैं । दूसरे मामले में, यह बताया गया है कि आग आकस्मिक ढंग से लगी ।

सीमेन्ट के कारखाने

२०४४. **श्री हेमराज :**
श्री राम हरख यादव :
श्री दलजीत सिंह :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मंत्री १४ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे किये गये सीमेन्ट कारखानों के नाम और उनके स्थान क्या हैं;

(ख) उन पक्षों के क्या नाम हैं जिनको सीमेन्ट कारखानों के लाइसंस दिये गये हैं और ये लाइसंसधारी किन राज्यों के हैं; और

(ग) उन योजनाओं के क्या नाम हैं जो पूरी होने वाली हैं और उनकी स्थापना के स्थानों के क्या नाम हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २६९३/६४]**

बम्बई में 'ड्रम क्लोज़र्स' फैक्टरी

२०४५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में क्रिश्करे इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड के नाम से एक 'ड्रम क्लोज़र्स' फैक्टरी स्थापित की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसकी स्थापना से पूर्व सरकार ने एक यह शर्त रखी थी कि इसके उत्पादन के बड़े भाग को विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये निर्यात किया जायेगा;

(ग) क्या इस कारखाने के उत्पादों की देश में भी खपत की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कदम उठाना चाहती है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार को अपनी योजना पेश करते समय इस सार्थ से सरकार को अपने उत्पादन का ५० प्रतिशत निर्यात करने का आश्वासन दिया और यह मंजूर कर लिया गया। बाद में उन्होंने उपयुक्त कच्चे माल के समाहार में होने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया और निर्यात करने से पूर्व एक ठोस आधार पर अपना उत्पादन करने के लिये कुछ समय मांगा। यह तै हुआ कि उत्पादन आरम्भ होने के तीसरे वर्ष से ५० प्रतिशत तक उत्पादों का निर्यात किया जायेगा। उन्होंने अप्रैल, १९६२ में उत्पादन आरम्भ किया और उनका निर्यात वर्ष १९६४ से होना चाहिये।

(घ) प्रश्न ही हीं उठता।

सिलाई के मशीनों के पुर्जों का निर्माण

२०४६. { **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या उद्योग मंत्री २६ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक दक्षिण भारतीय फर्म द्वारा अमरीका की सहायता से सिलाई की मशीनों के पुर्जों के निर्माण के लिये पेश किये गये आवेदन-पत्र के बारे में तब से कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्योरा है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). दक्षिण भारतीय फर्म द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र पर उनको उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत इस शर्त पर न्यूयार्क की सिंगर मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के सहयोग से सिलाई की मशीनों के कुछ पेचीदा पुर्जों के निर्माण के लिये लाइसेंस दिया गया है कि :

(१) वे पूरी घरेलू सिलाई की मशीन नहीं बनायेंगे;

(२) इस फर्म में निर्मित पुर्जों की आन्तरिक बिक्री के लिये 'सिंगर' ब्रांड नाम इस्तेमाल नहीं किया जायेगा; और

(३) विदेशी सहयोग की शर्तों और आयातित संयंत्र और मशीनों के बारे में सरकार की संतुष्टि के अनुसार करार किया जायेगा।

मोटर कारों का उत्पादन

२०४७. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में स्टण्डर्ड मोटर प्राडक्ट्स आफ इण्डिया इस साथ के विदेशी सहयोगियों की सहायता से बड़ी संख्या में कारें बनाने के लिये अपना विस्तार करने की योजना बना रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस विस्तार कार्यक्रम में सरकार के सहयोग पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो विस्तार की क्षमता का क्या आकार है और सरकार का योगदान किस रूप में होगा ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). कुछ समय पूर्व मेसर्ज स्टण्डर्ड मोटर प्राडक्ट्स आफ़ इण्डिया ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत अपने मद्रास स्थित कारखाने में कारों के निर्माण के लिये पर्याप्त विस्तार करने के लिये आवेदन-पत्र दिया। अन्य कार निर्माताओं से प्राप्त विस्तार प्रस्तावों के साथ साथ यह आवेदन-पत्र भी विचाराधीन है।

इस समय सरकार देश में कार-निर्माण क्षमता में वृद्धि करने की संभावनाओं का परीक्षण कर रही है। एक संभावना सरकार के सहयोग से वर्तमान निर्माताओं में से पर्याप्त विस्तार के लिये एक को छांटना है। तथापि यह प्रश्न अभी परीक्षणाधीन है और कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

नाहन ढलाई घर

२०४८. **श्री डेविड मुन्जनी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नाहन ढलाई घर को हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंपना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इसका प्रस्ताव किया है। यह विचाराधीन है।

कोयल का उपभोग

२०४९. **श्री हेमराज** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री १४ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ६६ ऐसी परतों में से जिनके बारे में यह घोषित कर दिया गया था कि उनका

वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है किसी भी परत में से निकले कोयले का उपरोक्त घोषणा किये जाने से पहले संतोषजनक रूप से उपभोग किया जा रहा था;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परत कितनी थीं, कोयले की कितनी मात्रा का उपभोग किया गया और उपभोग करने वाले उद्योगों के क्या नाम थे; और

(ग) क्या सरकार, कोयला निकाले जाने वाली परतों को वर्गीकरण के अयोग्य घोषित करने के कारण, राष्ट्रीय सम्पत्ति को हुई क्षति से अवगत है?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) ६६ परतों के कोयले को जिनको वर्गीकरण के अयोग्य घोषित किया गया था, १९ परतों में पहली बार वर्गीकरण किया जाने वाला था और वहां से इससे पहले कोई कोयला नहीं भेजा गया था। शेष ४७ परतों के मामले में, क्योंकि इन्हें पहले वर्गीकरण के अयोग्य घोषित नहीं किया गया था, सामान्य रीति से कोयला भेजा गया होगा।

(ख) ४७ परतें और संबंधित कोयला खानों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २६८४/६४**] इन प्रत्येक परत में से उपभोग किये गये कोयले की मात्रा और उपभोग करने वाले उद्योगों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि सामान्यतया कोयले २ और ३ श्रेणियों के थे, यह कोयला ईंट पकाने अथवा नर्म कोक बनाने के लिये भेजा गया होगा।

(ग) यदि कोई कोयला इतनी घटिया किस्म का है कि निम्नतम निर्धारित किस्म से नीचे है तो उसे विशिष्ट वर्ग में न रख कर उसका अनुचित मूल्य वसूल न करने देना उचित ही है। इस संदर्भ में बर्बादी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

विद्युत करघा सहकारी समितियां

२०५०. { **श्री जेधे:**
श्री मा० ल० जाधव:
श्री लोनीकर: }

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में कितनी सहकारी समितियां हैं;

(ख) क्या यह सच है कि निधियों की कमी के कारण वे सहकारी समितियों को सफलतापूर्वक चलाने के योग्य नहीं हैं; और

(ग) क्या इन सहकारी समितियों को तथाकथित उच्चकोटि के बुनकरों की सहायता लेनी पड़ती है?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत् करघा सहकारी समितियों की संख्या निम्न है :—

राज्य का नाम	सहकारी समितियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	कोई नहीं
आसाम, मनीपुर और त्रिपुरा	६
बिहार	२४
गुजरात (दादरा और नगर हवेली)	३०
केरल	८६
मध्य प्रदेश	४८
मद्रास	१
महाराष्ट्र	५०
मैसूर	११८
उड़ीसा	१७
राजस्थान	२६
उत्तर प्रदेश	२४
पश्चिमी बंगाल	६५
दिल्ली और पंजाब	२
पांडीचेरी	४
	५०४

सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि ये सहकारी समितियां निधियों की कमी के कारण सफलतापूर्वक चलने के योग्य नहीं है अथवा वे उच्च कोटि के बुनकरों की सहायता भी ले रही हैं।

कताई मिलों के लाइसेंस

२०५१ { **श्री त्रेवे :**
श्री लोनीकर :
श्री मा० ल० जाधव :

क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न गैर सरकारी पार्टियों और सहकारी समितियों को कताई मिलों के लिये कितने लाइसेंस दिये गये ;

(ख) यह निर्णय करने के लिये क्या कसौटी है कि कताई यूनिट के लिये लाइसेंस किस स्थान के लिये और किसको दिया जाये; और

(ग) लाइसेंस लेने के लिये, राज्यवार, कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) ३१–३–१९६४ को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिये :—

गैर सरकारी पार्टियां . . . १७० लाइसेंस

सहकारी समितियां . . . ४२ लाइसेंस

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकार की सिफारिशें ।

(ग)

राज्य	३१–३–१९६४ को लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या
१. आन्ध्र प्रदेश	४
२. बिहार	१
३. गुजरात	४
४. मध्य प्रदेश	४
५. मद्रास	१०
६. महाराष्ट्र	१३
७. मैसूर	५
८. पंजाब	२
९. उत्तर प्रदेश	७
१०. पश्चिमी बंगाल	१०
११. दिल्ली	७
१२. हिमाचल प्रदेश	२
१३. पांडीचेरी	२

कपड़े का उत्पादन

२०५२. **श्री जेधे :**
श्री लोनीकर :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत् करघा क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र के लिये कपड़े के उत्पादन के निमित्त विशेष रक्षित किस्में क्या हैं ;

(ख) ऊपर दी गई किस्मों के मूल्य मिल क्षेत्र द्वारा तैयार की गई किस्मों के मूल्यों की तुलना में कैसे हैं ; और

(ग) मिल क्षेत्र द्वारा विद्युत् करघा और हथकरघा कपड़े के साथ प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २६८५/६४]**

कपड़े का उत्पादन

२०५३. **श्री जेधे :**
श्री लोनीकर :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों, अर्थात् कपड़ा मिलें, विद्युत् करघा और हथकरघा द्वारा गत पांच वर्षों में, वर्षवार, कितना कपड़ा उत्पादित किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि कपड़ा मिलों का काम योजना की आशा के अनुकूल नहीं है ;

(ग) प्रति व्यक्ति कपड़े की उपलब्धता क्या है ; और

(घ) उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २६८३/६४]**

"F" Type Car Production in Britain

2054. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Steel, Mines and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Britain has produced a "F" type car which could be reduced in size ; and

(b) if so, whether Government have any plan to produce such cars in the country?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri P. C. Sethi) : (a) Government are not aware.

(b) Does not arise.

हिन्दू विवाह अधिनियम

२०५५. श्री यशपाल सिंह : : क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत गत दो वर्षों में कितने मुकदमे दर्ज किये गये ; और

(ख) क्रमशः किन राज्यों में यह संख्या अधिकतम और निम्नतम है ?

564(ai)LSD—4

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) भारत सरकार के पास अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसे राज्य सरकारों से इकट्ठा किया जा रहा है, और यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Export of imported Goods/Machines

2056. Shrimati Chavda: Will the Minister of **International Trade** be pleased to state :

(*a*) whether cases have come to the notice of Government where certain goods or machines imported from East European countries have been exported ; and

(*b*) if so, whether it has been provided in the trade terms ?

The Minister of Industry (Shri Kanungo): (*a*) No, Sir.

(*b*) Does not arise.

अमरीका के साथ व्यापार

२०५७. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३ में अमरीका को भारतीय वस्तुओं का कुल कितना निर्यात हुआ ;

(ख) उस वर्ष में उस देश को क्या मुख्य वस्तुएं निर्यात की गई तथा कितनी मात्रा में निर्यात की गई ; और

(ग) आलोच्य वर्ष में तथा उससे पहले वर्ष में अमरीका के साथ व्यापार सन्तुलन क्या रहा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) १२७.६ करोड़ रु०।

(ख) १९६३ में अमरीका को मुख्य वस्तुओं का निर्यात बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वस्तुएं	लाख रु० में मूल्य १९६३
मछली और मछली से बनाई गई हुई वस्तुएं	२५२
काजू	१२०३
चाय	५८१
खालें और तैयार की हुई फर की खालें	२१८
चादरों अथवा ब्लाकों आदि में बिना कटा अथवा अनिर्मित अभ्रक	१९८
मैंगनीज अयस्क और दाने	१२१
प्राकृतिक गोंद, बिरोजा और गुलमेंहदी	१९८
चमड़ा और चमड़े से निर्मित वस्तुएं	२०६
सूती कपड़े	५८१
पटसन से निर्मित वस्तुएं	६९१४
अन्य वस्तुओं समेत जोड़	१२७५७

(ग) अमेरिका के साथ व्यापार सन्तुलन १९६३ में २१५ ·३ करोड़ रुपये और १९६२ में २१९ ·९ करोड़ रुपये तक प्रतिकूल रहा है ।

इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात

२०५८. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न इंजीनियरिंग उद्योगों की निर्यात सम्भावनाओं का विस्तृत अध्ययन करने के लिये नियुक्त अध्ययन दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) श्रीमन्, अभी नहीं । इसके शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है ।

Paper Factories

2059. { Shri Sidheshwar Prasad :
Shri P. R. Chakraverti :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(*a*) the names of the persons/firms to whom licences were issued for setting up paper factories from 1961-62 to 1964-65 so far ;

(*b*) the progress made in setting up the factories; and

(*c*) if no progress has so far been made the action Government propose to take in the matter?

The Minister of Industry (Shri Kanungo) : (a) and (b) A statement is attached. [*Placed in Library. Please see L.T.*—**2687/64**]

(*c*) Industrial licences have been revoked where no progress was made within the time prescribed in the licence. Similar action will be taken against those licencees who do not take concrete steps to implement the licences within time prescribed therefor.

रूस को निर्यात

२०६०. { श्री विश्वनाथ राय :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रूस को भारतीय वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : इस समय सरकार के विचाराधीन कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है । चालू भारत–रूस दीर्घकालीन व्यापार करार के अन्दर यह अनुमान है कि करार की अवधि में रूस को हर वर्ष निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं में चतुर्दिक वृद्धि होगी ।

मण्डी में नमक की खानें

२०६१. श्री हेम राज : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मण्डी में नमक की खानों में यह पता लगाने के लिये कि नमक की कितनी

मात्रा उपलब्ध है, मार्च, १९६४ के अन्त तक कितनी गहराई तक खुदाई की गई ;

(ख) क्या उन खानों में पश्चिमी पाकिस्तान में खौड़ा खानों के नमक से मिलती जुलती कोई परतें पाई गई हैं; और

(ग) खुदाई के अन्तिम परिणाम का कब पता लगेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) (क) ९८२ मीटर ।

(ख) जी, नहीं, अभी नहीं ।

(ग) १९६५ के अन्त तक ।

पंजाब में ऊन की कताई मिलें

२०६२. **श्री हेम राज** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पंजाब सरकार से पंजाब के जिला कांगड़ा में आठ आठ सौ तकुओं की ऊन की और 'वर्स्टिड' ऊन की कताई मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

ब्रह्मपुत्र नदी--तल में सोने के निक्षेप

२०६३. **श्री हेम राज बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रह्मपुत्र नदी–तल में स्वर्ण निक्षेपों के चिह्न हैं जैसा कि एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) यह अर्थ प्रकट है कि आसाम की अधिकांश नदियों में जिनमें ब्रह्मपुत्र सम्मिलित है स्वर्णकण पाये जाते हैं (यह कण रेत के एक टन मात्रा में दो ग्राम के भी कम मात्रा में उपलब्ध हैं) भारत भूतत्वीय सर्वेक्षण ने इस शताब्दी को प्रारम्भ में जांच की थी किन्तु आर्थिक दृष्टि से कोई व्यवहार्य मात्रा में उपलब्धि नहीं हुई है ।

उड़ीसा में भारी उद्योग

२०६४. **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६४–६५ और १९६५–६६ में उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई भारी उद्योग स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्योरे हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) इस समय १९६४–६५ और १९६५–६६ में उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार द्वारा भारी इंजीनियरिंग उद्योग का कोई नया यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विदेशों में कुटीर और लघु उद्योगों में प्रशिक्षण

२०६५. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, १९६३ में कुटीर और लघु उद्योगों में प्रशिक्षण के लिये उड़ीसा से कितने व्यक्ति विदेशों को भेजे गये ; और

(ख) उनको किन देशों में भेजा गया था ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में अम्बर चरखे

२०६६. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में उड़ीसा को वास्तव में कितने अम्बर चरखे दिये गये ;

(ख) उसी अवधि में वास्तव में कितने अम्बर चरखे काम कर रहे थे ; और

(ग) उसी अवधि में कुल कितना सूत पैदा किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रूरकेला संयंत्र से हल्के इस्पात की चादरें

२०६७. **श्री शशिरंजन :** क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला संयत्र की हल्के इस्पात की चादरों के वितरण की पद्धति क्या है ;

(ख) क्या वितरण प्राप्त पूर्ववर्तिता के अनुसार ही किया जाता है ;

(ग) व्यापारियों तथा निर्माताओं को वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या पद्धति अपनाई गई है ; और

(घ) चादरों की चोरी बाजारी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) हल्के इस्पात की चादरें नियंत्रित श्रेणी में आती हैं और रूरकेला इस्पात संयंत्र सहित सभी इस्पात संयंत्रों से इसका वितरण अभ्यंश प्रमाणपत्रों द्वारा विनियमित होता है । लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा तैयार की गई मांग-सूची के अनुसार ही, जिसके साथ आवंटन तथा अभ्यंश प्रमाणपत्र होते हैं, रूरकेला इस्पात संयंत्र क्रयादेश स्वीकार करता है । रूरकेला इस्पात संयंत्र का सावधिक रोलिंग कार्यक्रम प्रतिरक्षा, रेलवे इत्यादि की पूर्ववर्तिता मांगों को ध्यान में रखते हुये लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा तय किया जाता है । चादरों का समूचा अभाव है इसलिये उत्पादकों के पास जो क्रयादेश पड़े हैं वे उनके उत्पादन से ज्यादा हैं । अतः प्रयत्न यह किया जाता है कि उपलब्ध संभरण को सभी तरह के उपभोक्ताओं में, जिनके व्यापारी तथा निर्माता भी सम्मिलित हैं, समान रूप से बांटा जाये ।

(घ) अभ्यंश प्रमाणपत्रों पर उपभोक्ताओं को दी गई इस्पात चादरों का पुनर्विक्रय लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश, १९५६ के अधीन दंडनीय अपराध है । नियंत्रण आदेश का प्रवर्तन मुख्यतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । विभिन्न राज्य सरकारों के पुरोनिधान तथा प्रवर्तन करने वाले प्राधिकारों से इस बात की आशा रखी जाती है कि वे इस सामग्री के वास्तविक उपयोग पर निगाह रखें । अंशधारियों द्वारा इस्पात चादरों के दुरुपयोग के बारे में किसी सूचना की समुचित जांच होती है तथा अपराधियों को दंड देने के लिये कार्यवाही की जाती है ।

आन्ध्र प्रदेश में सीसे के निक्षेप

२०६८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के खम्मम जिले में सीसे के निक्षेप पाए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लुग्दी तथा कागज उद्योग

२०६९. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के कुछ पक्षों द्वारा कागज तथा लुग्दी के निर्माण के लिये कारखाना स्थापित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आद्यरूप (प्रोटोटाइप) उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र

२०७०. **श्री गो० महन्ती** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई के आद्यरूप (प्रोटोटाइप) उत्पादन तथा प्रशिक्षण

देशों में चालू वर्ष में कितने प्रशिक्षार्थियों को लिया गया है ;

(ख) नई दिल्ली केन्द्र में दाखिले के लिये विभिन्न राज्यों के आवेदकों की संख्या क्या है ; और

(ग) उम्मीदवारों को चुनने का तरीका क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) नई दिल्ली केन्द्र में चालू १९६४-६५ वर्ष का दाखिला हो रहा है । अब तक ७२ प्रशिक्षार्थियों को दाखिल किया गया है । हावड़ा तथा राजकोट के केन्द्रों में चालू सत्र का दाखिला अभी शुरू नहीं हुआ है । बम्बई में कोई केन्द्र नहीं है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०—२६८८/६४]**

(ग) प्रत्येक प्रकार के प्रशिक्षण के लिए आयु, शिक्षा सम्बन्धी अर्हताओं और अनुभव जैसी पूर्वावश्यकतायें निर्धारित हैं । कतिपय पाठ्यक्रम छोटे पैमाने के उद्योगों के उम्मीदवारों के लिये रक्षित हैं । इन पाठ्यक्रमों के लिये उम्मीदवारों लघु उद्योग सेवा संस्थाओं के द्वारा अपने आवेदन पत्र भेजते हैं । ये संस्थायें जिन उम्मीदवारों की सिफारिश करती हैं उनमें से योग्यता के आधार पर चयन होता है । जनता के लिये खुले पाठ्यक्रमों के लिये उम्मीदवारों का चयन उनसे साक्षात भेंट करके योग्यता के आधार पर होता है । इनके लिये आवेदन पत्र समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर मंगवाये जाते हैं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION O MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पूर्वी पाकिस्तान में भारत आने वाली शरणार्थियों की रेल गाड़ियों का बन्द हो जाना

श्री कपूर सिंह (लूधियाना) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बीनय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने वाली शरणार्थियों की रेल गाड़ियों का बन्द हो जाना ।"

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : डाउन खुलना-सियालदह-बरिसाल एक्सप्रेस रेलगाड़ी रोज़ाना १५.२७ बजे पटरापोल और २१.१५ बजे सियालदह पहुंचती है । ५ अप्रैल १९६४ को न तो यह रेलगाड़ी और न दिन में आने वाली दो मालगाड़ियां ही सीमा-स्टेशन पर पहुंची । पूर्वी रेलवे प्रशासन ने उसी दिन पूर्वी-पाकिस्तान के रेलवे अधिकारियों से गाड़ियों के न पहुंचने का कारण जानने के लिए सम्पर्क स्थापित किया लेकिन उन्हें यह सूचना दी गई कि पूर्व-पाकिस्तान के रेलवे कमचारियों ने भारतीय अधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत की है । और आगे पूछताछ करने पर यह पता चला कि २ अप्रैल, १९६४ को भारतीय पुलिस ने पूर्व-पाकिस्तान के रेलवे गार्ड, श्री मोहम्मद नूर अली, को चोरी-छिपे माल ले जाने और भारत तथापूर्व-पाकिस्तान के बीच लोगों को ग़ैर-कानूनी तौर पर लाने-ले जाने के आरोप में रोक लिया था । अदालत ने उसे ६-४-६४ को छोड़ दिया लेकिन पूर्व-पाकिस्तान वापस पहुंचने पर

[श्रीमति लक्ष्मी मेनन]

उसने शिकायत की कि भारत में उसकी हिरासत के दौरान उसके साथ बुराबर्ताव किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले की छानबीन की और यह रिपोर्ट दी कि पूर्व-पाकिस्तान के रेलवे गार्ड ने जो आरोप लगाए हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है।

पूर्व-पाकिस्तान रेलवे ने जो यह आश्वासन दिया था कि गाड़ियां ७ अप्रैल से फिर चलने लगेंगी, उसके बावजूद उस दिन कोई गाड़ी सीमा-स्टेशन पर नहीं पहुंची। लेकिन ८ अप्रैल १९६४ को गाड़ियां फिर चलने लगीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम) : यदि गाड़ियां मैट्रोपोल तक आती रही हों, तो यह सुनिश्चित करने के लिये, कि वहां तक पहुंचे आप्रवासी भली भांति यहां पहुंच जायें, क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : गाड़ियों के पुनः चलने से सभी लोग यहां पहुंच गये हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : माननीय मन्त्री ने बताया कि समाचारपत्रों में प्रकाशित किये गये श्री नूर अली की गिरफ्तारी के कारण गलत हैं, तो समाचार पत्रों के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी चूंकि उन्होंने गलत कारण दिये थे ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : बंगला के समाचार पत्र ऐसी कई गलत खबरें बढ़ा चढ़ा कर देते हैं परन्तु उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या हमारे गृह मन्त्री पाकिस्तान के गृह मन्त्री से बात करेंगे ?

बिना विभागके मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : माननीय सदस्य जानते हैं कि साम्प्रदायिक तनाव के कारण उत्तेजित होकर यह गाड़ी रोक ली गयी थी। परन्तु अब, गाड़ियां फिरसे चलने लगी हैं। इसलिये इस मामले को यहीं समाप्त कर देना चाहिए।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotal) : It has appeared in the Press that Shri Nur Ali has been arrested on the charge of criminial assault on two girls. The statement of the hon. Minister is wrong.

Mr. Speaker : The hon. Member is not justified in making such an imputation against the hon. Minister. What has appeared in the Press is wrong.

Shri Onkar Lal Berwa : We work on the basis of newspaper reports. But we are kept in dark by making wrong statements in the House.

Mr. Speaker : Only on the basis of press report the hon. Member cannot say that what the Minister has said is wrong. If he persists like this he will have to withdraw from the House.

Shri Bade (Khargone) : But the Government should have contradicted the press report.

Mr. Speaker : If the hon. Member has any proof in favour of the press report, certainly he can say that what the hon. Minister has said is wrong. But only on the basis of the press report, he cannot say so.

Shri Kachhavaiya (Dewas) : Is it a fact that the trains have started coming from East Pakistan, but Hindoos are not being allowed to come?

Shri Lal Bahadur Shastri : No, Sir, This is not correct. But we have come to know that East Pakistan Government are making efforts to stop further migration of minorities therefrom.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Have the Government come to know that the Banpur border has been sealed by the Pakistan Government? If so, the steps being taken in regard thereto?

Shri Lal Bahadur Shastri : After having full details if we feel some difficulty, the facts about the same will be brought to the notice of the home Minister of Pakistan

No. Official intimation has been received regarding the sealing of the said border.

श्री शिकरे (मरमागोआ) : समाचारपत्र गलत और उत्तेजनात्मक खबरें न छापें, इस बारे में क्या भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैंने यह नहीं कहा कि कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य चाहते हैं कि या तो सरकार द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जाए या उन खबरों को गलत बतलाया जाय ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : ऐसा ही होना चाहिए ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

खनिज संरक्षण तथा विकास (पहला संशोधन) नियम, १९६४

इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे०सुब्रह्मण्यम): मैं (१) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक १४ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४४४ मे प्रकाशित खनिज संरक्षण तथा विकास पहला संशोधन) नियम, १९६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।
[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २६७७/६४]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५, आदि, के अन्तर्गत अधिसूचनायें

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ३ दिसम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३३९६ में प्रकाशित वस्त्र [बुनाई, (निटिंग), कढ़ाई, लेस बनाना और छपाई मशीनों द्वारा उत्पादन] नियन्त्रण आदेश, १९६३ ।

[श्री कानूनगो]

(दो) दिनांक ७ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८११ में प्रकाशित ऊनी वस्त्र (उत्पादन तथा वितरण नियन्त्रण) (संशोधन) आदेश १९६४।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २६७८/६४]

(३) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६२–६३ के लिए नाहन फाउण्ड्री लिमिटेड, नाहन की वार्षिक प्रतिवेन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(४) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २६७९/६४]

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE
तिरेपनवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं वित्त मन्त्रालय-राजस्व तथा समवाय विधि (समवाय विधि डिवीजन) विभाग सम्बन्धी प्राक्कलन समिति का तिरेपनवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अनुदानों की मांगें-जारी
DEMANDS FOR GRANTS—Contd.
वैदेशिक कार्य मंत्रालय—जारी

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : सुरक्षा परिषद में काश्मीर सम्बन्धी विवाद के बारे मे मुझे यह कहना है कि जो नीति हमने अपनाई है उस पर दृढ़ रहना चाहिए। ब्रिटिश प्रतिनिधि का काश्मीर के भारत से विलय को वैधिक या संवैधानिक तथ्य न मानना अमित्रतापूर्ण रुख है। अमरीका द्वारा मध्यस्थता की बात, कहना भी अनुचित है। संसार में ऐसे स्थानों पर जहां अमरीका या ब्रिटेन के झगड़े हैं। जनमत नहीं लिया जाता। वह अन्य लोगों को जिन सिद्धान्तों का उपदेश देते हैं। स्वयं उनका पालन नहीं करते। परन्तु हमें उनके कथनों पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। और न ही शेख अब्दुल्ला के कथनों से प्रभावित होना चाहिए। काश्मीर के लोगों ने संविधान सभा द्वारा अपना मत प्रकट किया और काश्मीर का भारत से विलय हुआ। अब शेख अब्दुल्ला का संविधान सभा के लिए हुए चुनावों को निष्पक्ष न मानना दुर्भाग्यपूर्ण बात है परन्तु इससे हमारी नीति या काश्मीर की स्थिति में परिवर्तन नही आना चाहिए। हमें पुनः जनमत प्राप्त करने के सुझाव को नहीं मानना चाहिए।

अब समय आ गया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संसार में शान्ति बनाये रखने के लिये और सीमान्त झगड़ों को निबटाने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस बल या शान्ति सेना बनायी जाय।

अफ्रीका तथा अन्य देशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों या भारतीय उदभव के लोगों की रक्षा तथा प्रतिष्ठा का दायित्व भारत सरकार पर ही है इसलिए उन लोगों की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

अफ्रीका में जिन देशों को हाल ही में स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है उन सब देशों में हमारी कूटनीतिक मिशन होने चाहिएं ।

भारत-पाक सम्बन्धों के सिलसिले में मुझे यह कहना है कि नेहरू-लियाकत अली संविदे को निर्जीव नहीं होने दिया जाना चाहिए । इसी करार से दोनों देशों के अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना बनी हुई थी । इसे सक्रिय रूप से कार्यान्वित करना चाहिए । आसाम और त्रिपुरा में जो पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश हुआ है उसके बारे मे भी हमे अपनी नीति मे परिवर्तन नहीं करना चाहिए ।

पाकिस्तान बहुत सी उत्तेजनात्मक कार्यवाहियां कर रहा है । अभी एक समाचार पत्र में यह खबर छपी थी कि विद्रोही नागा पाकिस्तान से हथियार प्राप्त करके भारत में प्रवेश कर रहे हैं । जम्मू तथा काश्मीर में ३६ व्यक्तियों की एक बारात के मारे जाने की खबर भी आई । परन्तु इन सब बातों के बावजूद भी भारत को अपनी नीति पर सुदृढ़ रहना होगा और संसार को बताना होगा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दशा क्या है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, इस समय जबकि भारत तथा पाकिस्तान के गृह मन्त्रियों के बीच वार्ता चल रही है कोई ऐसी बात कहना जिससे इस वार्ता के उद्देश्य को हानि पहुंचे अनुचित होगा । परन्तु पाकिस्तान द्वारा जो स्थिति पैदा की गयी है उसने किसी तरह की आशा नहीं बंधती । लगभग २००,००० अल्पसंख्यक पूर्वी पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं और अभी और लोग अनगिनत संख्या मे चले आ रहे हैं और पाकिस्तान से चीखोपुकार की आवाजें बराबर आ रही हैं । उधर पश्चिमी देश पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं । उन कारणों से आशा तो नहीं बंधती परन्तु फिर भी हमें आशा करनी चाहिए कि गृह मन्त्रियों का सम्मेलन सफल होगा और नेहरू—लियाकत अली करार को लागू किया जायगा ।

समाचार पत्रों में छपा है कि पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने सीमाओं को सील कर दिया है । परन्तु अल्पसंख्यकों की निकासी को रोके बग़ैर सीमाओं को सील कर देना अर्थहीन है । आबादी के तबादले के लिए भी कहा जाता है परन्तु आबादी के तबादले से दोनों देशों में अमिट घृणा पैदा होगी और स्थिति बहुत खराब हो जायेगी उससे हमारे समूचे जीवन का आधार ही नष्ट हो जायेगा । भारत इसके लिए कटिबद्ध है कि यहां पर साम्प्रदायिक उपद्रव नहीं होने दिये जायें । हम यह नही सहन कर सकते कि पाकिस्तान अल्पसख्यकों को निकाल कर हमारे लिए एक विशाल समस्या खड़ी करे । परन्तु समस्या को परस्पर समझौते से ही सुलझाया जा सकता है ।

पाकिस्तान द्वारा कहा जाता है कि सारा दोष भारत का ही है और ब्रिटेन तथा अमरीका उसका समर्थन करते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि भारत ने कई गलतियां की हैं परन्तु हमारा व्यवहार सदैव उचित ही रहा है । देश के विभाजन के समय, काश्मीर के मामले मे और सीमाओं पर तथा पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के मामले में, पाकिस्तान सदैव उत्तेजनात्मक कार्यवाहियां करता रहता है । परन्तु इस पर भी पाकिस्तान तथा उसके मित्र देशों द्वारा हमे दोषी ठहराना एक शर्म की बात है ।

पाकिस्तानियों द्वारा पूर्वी बंगाल में जो अलोकतन्त्रात्मक एवं अयूबशाही कार्यवाहियां की जा रही हैं वह समाप्त होनी ही चाहिएं । भारत में मुसलमानों की जनसंख्या संसार में तीसरे दर्जे पर है परन्तु यह गर्व की बात है कि वह एक धर्म निरपेक्ष राज्य है और इसी सिद्धान्त का इस देश में सही अर्थों में अनुसरण किया जाता है ।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

मैं महसूस करता हूं कि शिष्टाचार का ध्यान रखते हुए हम प्रायः कमजोर नीति अपनाते हैं। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान तथा उसके सहयोगियों की कुरीतियों की खुले तौर पर चर्चा करें ताकि एशिया तथा अफ्रीका के देशों को सच्चाई मालूम हो। राष्ट्रपति अयूब ने **फारेन एफेयर्स** में एक लेख में कहा है कि भारत हिन्दुकुश से मेकांग नदी तक शासन करना चाहता है। '**लन्दन टाइम्स**' में एक लेख प्रकाशित हुआ जिस में कहा गया कि काश्मीर के सम्बन्ध में राष्ट्र मण्डल द्वारा मध्यस्थता की जानी चाहिए; और कि भारत में साम्प्रदायिक घटनाओं के कारण योजना सम्बन्धी परियोजनाओं में जो बाधायें आईं उन के लिए अमरीका द्वारा भारत को चेतावनी देनी चाहिए। परन्तु हमारा विदेशी प्रचार विभाग इन बातों का उचित उत्तर देने में असफल रहा है। **जुगान्तर** के मुख्य सम्पादक जब **वाशिंगटन** पोस्ट' के सम्पादकीय कर्मचारीवर्ग से मिले तो उन्हें बताया गया कि गत तीन मास में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई घटनाओं के बारे में हमारे राजदूतावास की ओर से कुछ नहीं कहा गया। केवल सुरक्षा परिषद् में प्रतिनिधि भेजने और महासचिव श्री देसाई द्वारा कुछ देशों की यात्रा करने ही से काम नहीं चलेगा। हम जानते हैं कि ब्रिटेन काश्मीर के मामले में पाकिस्तान का साथ दे रहा है। श्री निक्सन पाकिस्तान को अपना परम मित्र कहते हैं। श्री अदलाई स्टीवन्सन गोआ के मामले में भारत को दोषी ठहराते हैं। अमरीकी विश्वविद्यालय फलोरिडा के श्री फ्रेड्रिक हार्टमन भारत को एक हिन्दू राज्य कहते हैं। इन सब बातों को सामने रख कर हमें संसार को बताना है कि सच्चाई क्या है। हमें साबित करना है कि किस तरह कई धार्मिक समुदाय एक साथ रह रहे हैं। हमें संसार को बताना है कि पाकिस्तान किस प्रकार साम्प्रदायिक दंगों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। हमें बताना है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष, प्रगतिशील देश है और वह सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में मग्न है परन्तु पाकिस्तान लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्तों का खंडन करता है और वह मध्यकालीन सामाजिक ढांचा बनाये रखना चाहता है। हमें यह सब बातें विशषकर अफ्रीकी-एशियाई देशों के प्रकाश में लानी हैं और यह भी बताना है कि वह ब्रिटेन और अमरीका का पिट्ठू है।

काश्मीर के मामले में हमारा दृष्टिकोण अस्पष्ट होता है, परन्तु सादिक सरकार के बनने से वहां स्थिति में सुधार हुआ है। शेख अब्दुल्ला की रिहाई का भी स्वागत करना चाहिए। शेख साहब ने कुछ बातें कही हैं जिन का अध्ययन सावधानी से किया जाना चाहिए। कुछ मामलों के बारे में बोलते हुए वह स्पष्ट नहीं हैं शायद इसलिए कि वह ११ वर्ष के बाद जेल से रिहा हुए हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि घबराहट का कोई कारण नहीं है। शेख अब्दुल्ला ने प्रधान मंत्री के साथ अपने सम्बन्धों की सुखद चर्चा की है। हमारे प्रधान मंत्री में स्नेह पैदा करने की अद्वितीयशक्ति है। मुझे आशा है कि इसी महान शक्ति के द्वारा ही काश्मीर की समस्या का हल किया जायगा। परन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर के बारे में हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। काश्मीर के बारे में जो आपत्तियां उठाई गई हैं उन का उत्तर देने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री को वहां जाने की क्या जरूरत है? और अब जब कि हमें ब्रिटेन के रुख के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है, तो क्या उसके साथ अपने सम्बन्धों पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हम ने कहा था कि यदि राष्ट्रमण्डल में रहने से हमें कोई हानि नहीं होती तो इस बारे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परन्तु आज हमें हानि हो रही है। राष्ट्रमण्डल आप्रवास अधिनियम पारित करके हमारे हितों के विरुद्ध कार्यवाही

की गयी। जंजीबार में ब्रिटिश पारपत्र रखने वाले भारतीयों की सहायता नहीं की गयी। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बारे में पुनर्विचार करने की जरूरत है। इस सत्र के आरम्भ में श्री चागला ने बताया था कि हम रोष में आ कर कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते। इससे यह तो सिद्ध हुआ कि हम ने रोष का अनुभव किया। मैं ने तो केवल यही सुझाव दिया है कि हमें अपने सम्बन्धों के बारे में फिर से विचार करना चाहिए। हमें उन्हें बताना होगा कि हम उन के रुख से सन्तुष्ट नहीं हैं।

चीन के बारे में मुझे यह कहना है कि क्या हमें चीन के आक्रमण करने पर शांति से बैठ रहना है ? क्या हमें, अपने आत्म सम्मान और प्रतिष्ठा की जो चोट लगी है, उसे सहन कर लेना है ? अब समय आ गया है जब कि प्रधान मंत्री गुटों से अलग रहने की नीति पर पुनर्विचार करें।

काश्मीर और चीन के प्रश्न पर सोवियत रूस ने हमारा पूरा समर्थन किया है। रूस के साम्यवादी दल में सुसलोव द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में चीन के आक्रमण की निन्दा की गई है और कहा गया है उसके दुष्प्रभाव के कारण भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन को आघात पहुंचा है और साम्राज्यवादी शक्तियों को प्रोत्साहन मिला है। शास्त्री जी ने जैसा कहा था हमें अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिये। हमारे प्रधान मंत्री ने लंका के प्रधान मंत्री के इस प्रश्न पर कि यदि चीन सात चौकियों को छोड़ दे तो भारत चीन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है या नहीं, नकारात्मक उत्तर दे दिया है। हो सकता है इसका कुछ युक्तियुक्त कारण हो। किन्तु हमें अन्य देशों के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिये बल्कि कुछ उपक्रम करना चाहिये जिससे यह समस्या शीघ्र हल हो सके।

कुछ कारणों से संभवतः हमारे मित्र देशों में भी भ्रम फैला होगा जैसे भारत-अमरीका हवाई उड़ान के संयुक्त अभ्यास फिर अमरीका की नभवाणी से समझौता और अमरीकी नौ सेना के बेड़े का हिन्द सागर में प्रवेश। प्रधान मंत्री कहते हैं कि वे थोड़े से जहाज हैं किन्तु वास्तव में उनमें विमान वाहक जहाज और अणु शस्त्रों से भरे जहाज हैं। यदि भारत समझता है कि इस से चीन पर समझौता करने के लिए दबाव पड़ेगा तो यह मिथ्या धारणा है। चीन की सब ओर से निन्दा हो रही है। कुछ देश यह नहीं चाहते कि भारत वास्तव में स्वतंत्र हो क्योंकि उससे दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में भारत के आदर्शों को बल मिलेगा। आशा है सरकार इन सब बातों की ओर ध्यान देगी।

नागालैण्ड के सम्बन्ध में हमें श्री आओ के प्रति पूरा विश्वास दिखाना चाहिये। पादरी माइकेल स्काट जैसे लोग छिपे सियार हैं। अतः ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिये।

लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयुक्त के कार्यालय के सम्बन्ध में मुझें निवेदन करना है कि लोक लेखा समिति के अनुसार अब भी वहां फालतू कर्मचारी हैं लेखों में अनियमितताएं पाई जाती हैं। भारत से बालासरस्वती, शुभलक्ष्मी और अली अकबर खां जैसे महान कलाकारों का एक शिष्टमंडल एडिनबर्ग गया था। वहां के लोगों और समाचारपत्रों ने उनकी बहुत प्रशंसा की किन्तु उच्च आयुक्त ने उन्हें कोई मान्यता प्रदान नहीं की। जब समाचारपत्रों में उनकी खूब ख्याति फैली तब कहीं उन्हें एक भोज पर आमंत्रित किया गया और यह कह दिया गया कि व अपनी कला का प्रदर्शन १०,१५ मिनट से अधिक न करें। इस पर मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि उन्हें उपयुक्त सम्मान दिया गया था। मुझ उन कलाकारों के वक्तव्य पर अधिक विश्वास है।

श्री ही० ना० मकर्जी]

३ अप्रैल के **स्टेटसमैन** का समाचार था कि कई महीनों से बर्मा में राजदूत की नियुक्ति नहीं की गई। इसी प्रकार वियेना में कई मास तक कोई राजदूत नहीं रहा। उसी पत्र में लिखा था कि जो लोग ईराक के राष्ट्रपति आरेफ का स्वागत करने गये थे उन्हें यह देख कर लज्जा से सिर झुकाना पड़ा कि श्री आरेफ अयूब के विमान में भारत आये थे। पाकिस्तान में उनका भव्य स्वागत हुआ था कि यहां पालम पर कुछ गिने चुने लोग ही थे। भले ही ये साधारण बातें हैं किन्तु इनका अत्यधिक महत्व होता है।

पांडीचेरी में मुख्य मंत्री मांगर गूबर्ट हैं जो नगरपालिका के महापौर भी हैं। वहां नगर-पालिका द्वारा अनियमित ढंग से कुछ नीलामी की जाती थी जिसे मद्रास उच्च न्यायालय ने बन्द कर दिया। अब वहां विधान सभा में प्रयत्न किया जा रहा है कि मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समाप्त कर दिया जाये। सरकार को इस सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिये।

गुटों से अलग राष्ट्रों का एक और सम्मेलन होने वाला है और इसमें अनेक अन्य राष्ट्र मिल गये हैं। आशा है उस में भारत का योगदान बहुत अच्छा रहेगा।

दूसरे बांडुंग सम्मेलन की तैयारी हो रही है। हमें कहीं भी ये असंगत बात नहीं करनी चाहियें कि हम चीन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। हमें उक्त सम्मेलन में चीन और पाकिस्तान के सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये और कोई भी ऐसा अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिये जिससे हम उस कालिमा को धो सकें जो दुर्भाग्यवश देश के नाम पर पुत गई है।

प्रधान मंत्री को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का आर्थिक प्रभाव क्या है। व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में अमरीका के प्रतिनिधि ने स्पष्ट कर दिया था कि जो देश विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध लगायेंगे उनका विकास रुक जायगा। श्री मनुभाई शाह ने अनुरोध किया था व्यापार और प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार में समाजवादी देशों को भी प्रविष्ट करना चाहिये ताकि विकासशील देश कम से कम समय में विकसित देशों कि साथ मिल सकें।

ऐसे मामलों में हमें केवल अर्थशास्त्रियों पर ही निर्भर नहीं करना चाहिये प्रत्युत् प्रधान मंत्री को स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुकूल दिशा निर्धारण करनी चाहिये। यदि विवेकपूर्ण निर्णय करें तो हमें मित्र भी मिलेंग। हमें गुटों से अलग रहने की नीति को गतिशील बनाना चाहिये तभी इसके वास्तविक मूल्य को लोग समझ सकेंगे।

{ **उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER in the chair }

श्री खाडिलकर (खेड): पूर्व वक्ता ने विश्व की परिवर्तनशील परिस्थितियों की पृष्ठभूमि के बीच हमारे सम्बन्धों पर विचार किया है। किन्तु स्थिति यह है कि रूस और अमरीका जैसी बड़ी शक्तियों में तो कुछ समझौता हो गया है कि पश्चिम में फ्रांस और पूर्व में चीन अणु प्रयोग प्रतिबंध संधि का विरोध किया है। चीन और रूस का मतभेद केवल विचारधारा का नहीं रहा बल्कि राजनैतिक रूप धारण कर रहा है। दूसरी ओर फ्रांस, ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी अनुकूल दर पर चीन को ऋण दे रहे हैं। इन परिस्थितियों में हमें पाकिस्तान और चीन के सम्बन्ध में अपनी समस्याओं पर पुनर्विचार करना चाहिये।

हम अपनी सीमा समस्या के बारे में कोलम्बो संधियों की ओर निहार रहे हैं या प्रतीक्षा कर रहे हैं कि चीन स्वयं एक दो कदम पीछे हट जाए। अब समय आ गया है कि इस संसद को इस सम्बन्ध में निश्चत निर्णय करना चाहिये। वैदेशिक कार्य मंत्रालय के भूतपूर्व महासचिव के विचार उसकी राजनैतिक डायरी में व्यक्त हुए हैं। उसने चाउ एन लाई के इस दृष्टिकोण को यथार्थवादी बताया कि वह लद्दाख के कुछ पूर्वी भाग के बदले मेकमोहन लाइन को स्वीकार करने के लिए तैयार है और यह भी कहा है कि अक्साई चिन का हमारे लिए कोई महत्व नहीं किन्तु चीन के लिए यह महत्वपूर्ण क्षत्र है। अब प्रायः दो वर्ष बीत गये हैं और समस्या का कोई हल नहीं निकाला गया जब कि चीन ने अपने पांव पक्के कर लिए हैं। क्या इस विलम्ब का देश को लाभ होगा? ऐसा प्रायः नहीं होता। क्या सरकार आत्म सम्मान के काम पर देश के हित की तिलांजली देना चाहती है।

कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया किन्तु हम कश्मीर के वास्तविक नेताओं की अवहेलना करते हुए पाकिस्तान से वार्ता करते रहे।

चीन के साथ सीमा समस्या की यह स्थिति है कि हमने कोलम्बो प्रस्तावों को पूर्णतः स्वीकार कर लिया किन्तु चीन ने दो शर्तें रखीं, एक तो यह पश्चिम में असैनिक चौकियां बराबर न हों और पूर्व में हम उन द्वारा छोड़े क्षेत्र पर कब्ज़ा न करें और पूर्वी क्षेत्र में वे कई स्थानों पर ८ सितम्बर की स्थिति से भी पीछे हट गये हैं।

विरोधी दल के सदस्य दोहाई देते हैं कि "हम ने आपको अधिकार दे दिये हैं। अब आप हर इंच भूमि खाली करवा लें।" किन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार कर के हम यह स्वीकार कर चुके हैं कि कुछ सीमा के बारे में विवाद है। अब खतरा यह है कि कहीं वास्तविक अधिकार न्यायिक अधिकार न बन जाएं।

आज भारत कौटिल्य के २ हज़ार वर्ष पुराने सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता कि हर पड़ोसी देश शत्रु है। वास्तव में हमारी नीति का उद्देश्य है सह अस्तित्व। अफ्रीका में जिन नये राष्ट्रों का उदय हुआ है उनकी गुटों से अलग रहने धर्म विशेषता समाजवाद आदि की नीति का स्वरुप उनके उस संघर्ष पर निर्भर करता है जो उन्हें विभिन्न प्रकार के साम्राज्यवदियों के खिलाफ करना पड़ा। यदि हमने उन्हें कोई गलत धारणा प्रदान कर दी तो हम मित्रहीन बन जायेंगे।

मुझे चिन्ता नहीं कि पश्चिम हमारे बारे में क्या कहता है। जब मकनमारा और रस्क जैसे व्यक्ति कहते हैं कि भारत साम्यवाद का मुकाबला करने वालों में अग्रणी है तो क्या इससे हमारा सम्मान बढ़ता है। क्या इस से हम अमरीका के अधिक निकट आये हैं। आपातकाल में उन्होंने सहायता तो की और उसका निश्चित उद्देश्य था। हमें किसी दबाव के आगे झुकना नहीं चाहिये।

आप प्रचार की बात कहते हैं किन्तु आपके पास प्रचार में देने को क्या है। आप सर्वथा निष्क्रिय हो गये हैं। आप अफ्रीका को यह नहीं सिखा सकते कि चुपचाप बैठे रहिये और प्रतीक्षा कीजिए।

मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि क्या हमें चीन के साथ युद्ध करना है या हार माननी है। यदि हम ने कोई कार्यवाही न की तो ये घटनाएं हमें घेर लेंगी। अतः सरकार को कोई उपक्रम करना चाहिये। उस दिन श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक वक्तव्य दिया तो विरोधी दल भभक पड़े जिस पर शास्त्री जी के वक्तव्य का खण्डन कर दिया गया। प्रधान मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए चीन से वार्तालाप का न्यायिक सम्पर्क पैदा करें।

[श्री खाडिलकर]

नौकरशाही ढंग से व्यवहार करने के कारण भी हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध खराब हो जाते हैं। श्रीलंका के एक प्रतिनिधि ने मुझे बताया कि उस देश के साथ भारत का गैर सरकारी व्यापार सम्बन्ध कोई भी नहीं है। ऐसे कारणों से श्रीलंका और फिलिपाइन अपनी नित्य प्रति की आवश्यकताएं प्राप्त करने के लिए चीन से सम्पर्क बढ़ा रहे हैं। बर्मा का समाजवाद लाने का ढंग कुछ भी हो हमें उस पर आक्षेप नहीं करना चाहिये ?

प्रश्न केवल यह है कि हम शक्तिशाली की स्थिति से समझौते की बात करते हैं या दुर्बल की स्थिति से। प्रोफेसर केरल बेल का कथन है कि कमजोर समझौता कर नहीं सकता सलिए नहीं करता और शक्तिशाली समझौते की आवश्यकता ही नहीं समझता। आशा है प्रधान मंत्री सम्मान की भावना या शक्ति की आकांक्षा को इस कार्य में बाधा नहीं बनने देंगे और चीन ने अफ्रीका आदि में हमें जो क्षति पहुंचाई है उसकी पूर्ति कर लेंगे।

शेख अब्दुल्ला को रिहा करने का मैं स्वागत करता हूं। सरकार ने बहुत समझदारी से काम लिया है। लोग कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला कश्मीर की घाटी में अपनी सलतनत बनाना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि शेख पर ऐसा आरोप नहीं लगाया जा सकता। वह कश्मीर की समस्या में बहुत सहायक हो सकता है। कश्मीर धर्म निरपेक्षता का प्रतीक है। शेख अब्दुल्ला यदि संविधान के अधीन रहते हुए कुछ स्वतंत्रता चाहता है तो वह दी जा सकती है। उसकी नैतिक शक्ति से समस्या का हल हो सकता है।

पाकिस्तान के सम्बन्ध में भी हमें केवल साम्प्रदायिकता के आधार पर नहीं सोचना चाहिये और धर्म निरपेक्ष होते हुए पाकिस्तान की चाल में नहीं फंसना चाहिये। पूर्वी पाकिस्तान से अल्प संख्यकों को इस लिए निकाला जा रहा है कि वहां लोकतंत्रात्मक शक्तियां उभर रही हैं और वहां के शासक हिन्दुओं को निकाल कर वहां तानाशाही को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। यदि कश्मीर पाकिस्तान को भी दे दिया जाए तब भी उसके साथ हमारी समस्याएं बनी रहेंगी।

विदेशों में प्रचार के सम्बन्ध में हमें गैर सरकारी सम्पर्क बढ़ाने चाहियें। रूस के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। चीन के साथ गतिरोध को भी समाप्त करना चाहिये। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि पंडित जी ने गत १५ वर्ष में देश की जो सेवा की है वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जायगी।

श्री बाकर अली मिर्ज़ा (वारंगल) : हमारी विदेश नीति क्या है इसे समझने के लिए हमें विश्व की स्थिति पर ध्यान देना चाहिये। द्वितीय युद्ध के उपरांत अमरीका ने रूस और चीन के साम्यवाद से बचने के लिए एक सुरक्षात्मक घेरा बनाया और इसी प्रकार का घेरा रूस ने अपने बचाव के लिए बनाया किन्तु ये प्रयत्न सफल नहीं हो सकते। दूसरी ओर गुटों से अलग राष्ट्रों की नीति पर निर्भर किया जा सकता जिसके सहारे युगोस्लाविया रूस का मुकाबला कर सका और मिश्र बड़ी शक्तियों के सामने खड़ा हो सका। इस नीति की शक्ति नैतिकता में निहित है। भौतिक शिक्त पर निर्भर नीति में त्रुटि होने पर सुधार हो सकता है किन्तु नैतिक नीति में गलत कदम घातक होगा। अतः जो भी इस नीति में परिवर्तन का सुझाव देता है वह देश का हित नहीं करता।

लोग कहते हैं कि चीन ने बहुत सी बातें मान ली हैं अतः हमें अब उससे समझौता कर लेना चाहिये । किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि नेफा की हार को हमने साधारण लड़ाई की हार नहीं माना था बल्कि अपना अपमान समझा था । चीन अन्य देशों को बता रहा है कि उसे जीता नहीं जा सकता और भारत उसके कदमों पर है और वह अपनी शर्तों के आधार पर बातचीत करेगा ।

कोलम्बो प्रस्ताव में नैतिक आधार है जिसे हम चीन और संसार से मनवाना चाहते हैं । यदि हम उस आधार को ही छोड़ दें तो समझ लीजिए कि चीन की पहले ही जीत हो गई ।

स्वतंत्र दल समझौते के लिए आग्रह करता है । उससे कुछ मील भूमि ही तो मिलेगी और वह दल कहता है कि गुटों से अलग रहने की नीति विफल रही है । वास्तव में हमने उसका अभी प्रयोग नहीं किया । हमें रूस के साथ ही संयुक्त हवाई अभ्यास करना चाहिये और फिर देखना चाहिये कि गुटों से अलग रहने की नीति का प्रभाव क्या है ।

हम युद्ध नहीं चाहते । हम शान्ति चाहते हैं किन्तु वर्तमान स्थिति में चीन से ही समझौता नहीं हो सकता ।

श्री चागला और श्री कृष्ण मेनन ने सुरक्षा परिषद् में जो दृष्टिकोण अपनाया है उससे हमारी स्थिति का सारे विश्व को ज्ञान हो गया है । इस सभा को उनके द्वारा प्रतिपादित नीति की पुष्टि करनी चाहिये । हम रूस द्वारा सुरक्षा परिषद् में अपनाये गये रवैये की सराहना करते हैं। अमरीका तथा ब्रिटेन ने जो रवैया अपनाया है वह आपत्तिजनक है। जहां तक ब्रिटेन का सम्बन्ध है, अंग्रेज अपने उपनिवेशों का विभाजन करने में माहिर हैं । पाकिस्तान चीन के साथ जो साठगांठ कर रहा है उसके पीछे ब्रिटेन का ही हाथ है । मैं श्री हीरेन मुकर्जी की इस बात से सहमत हूं कि ब्रिटेन के साथ हमारे जो सम्बन्ध हैं उनके बारे में पुनर्विचार किया जाना चाहिये । हमें प्रत्येक बात के लिये ब्रिटेन पर निर्भर नहीं रहना चाहिये ।

पाकिस्तान का इन साम्प्रदायिक दंगों के पीछे निजी स्वार्थ है क्योंकि उसे सुरक्षा परिषद् में काश्मीर का प्रश्न उठाने का अवसर मिल जाता है। काश्मीर में जनमत संग्रह कराने की मांग को विश्व से मनवाने के लिये वह चाहता है कि ये दंगे अधिकाधिक जोर पकड़ें। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि काश्मीर में जनमत संग्रह की मांग को मान लिया जाये तो भी सही अर्थों में जनमत संग्रह करने के लिए यह आवश्यक है कि पाकिस्तान तथा भारत, दोनों देशों, में कम से कम दस वर्षों के लिये साम्प्रदायिक शांति बनी रहनी चाहिये ।

यदि हम इस उप-महाद्वीप में तथा काश्मीर में शांति बनाये रखना चाहते हैं तो हमें अपनी काश्मीर सम्बन्धी नीति में जरा भी परिवर्तन नहीं करना चाहिये। हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि काश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा और इसलिये जनमत संग्रह का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या ७७ पर बोलूंगा जिसका आशय यह है कि वैदेशिक कार्य शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये क्योंकि सरकार की विदेश नीति असफल रही है । यह पहला अवसर है जब हम

[श्री नाथ पाई]

इस प्रकार का कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं । काफी सोच विचार करने के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि हम सरकार की विदेश नीति से कतई सहमत नहीं हैं ।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन में बहुत सी ऐसी बातों का उल्लेख है जिनका प्रतिवेदन में कोई स्थान नहीं होना चाहिये था । इसके विपरीत ऐसी बातों का बढ़ा चढ़ा कर उल्लेख किया गया है । उदाहरण के लिये, प्रतिवेदन में भारतीय हाकी टीम का सात बार जिकर किया गया है ।

इस मंत्रालय का ५५ प्रतिशत धन ऐसी गतिविधियों पर खर्च किया जाता है जिनका इस मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है । नेफा, नागालैंड, गोआ, पांडिचेरी और यहां तक कि आसाम राइफल्स भी इस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में हैं । इस मंत्रालय की गतिविधियों का इस प्रकार विस्तार करना कतई उचित नहीं है और विशेषकर जब कि प्रधान मंत्री के जिम्मे पहले ही बहुत काम हैं । क्या यह बात देश के हित में है कि हालांकि गोआ को स्वतंत्र हुए तीन वर्ष हो गये हैं परन्तु वह अब भी वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत है । श्री ही० ना० मुकर्जी ने बताया कि कुछ विशेष कारणों से पांडिचेरी में न्यायिक आयुक्त नियुक्त किया गया था । गोआ के बारे में भी वही गलती की जा रही है । मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय यह एक खतरनाक खेल खेल रहा है । वहां पर विभिन्न वर्गों में इस समय कोई मतभेद नहीं है परन्तु अल्पसंख्यकों की रक्षा की आड़ में सरकार वहां पर मतभेदों को हमेशा के लिए उत्पन्न करने जा रही है । मुझे आशा है कि यह सभा शीघ्र ही गोआ की जनता की मांग को स्वीकार करेगी ।

प्रचार का कार्य वास्तव में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का है परन्तु होता कुछ और ही है । गोआ पर एक फिल्म तैयार की गई है और अधिकांश माननीय सदस्यों ने उसे देखा भी है । परन्तु वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने उस पर आपत्ति की है क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें दिखाई गई हैं जिन्हें वह पसन्द नहीं करता । इसीलिये उस फिल्म के निर्माता को उसे प्रदर्शित न करने के लिए कहा गया है । जब कि वास्तविकता यह है कि उस फिल्म में जो बातें आपत्तिजनक ठहराई गई हैं, उनका उसमें होना जरूरी है ।

मुझे आशा है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री गोआ के प्रश्न पर अनेक पहलुओं से विचार करेंगे और गोआ को अन्तिम रूप से भारत के साथ मिलाने के लिए कदम उठायेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि देश के किसी भाग पर वैदेशिक कार्य मंत्रालय का शासन हो । हमें लोगों के इस सन्देह को दूर करना चाहिये कि गोआ अभी अन्तिम रूप से भारत का अभिन्न अंग नहीं बना है ।

यह बात कि यह मंत्रालय अपने को बहुत महत्व देता है इस से भी स्पष्ट हो जाती है कि जब कि अन्य मंत्रालयों के सब से बड़े कार्यपालिका अधिकारी को सचिव के नाम से पुकारा जाता है, इस मंत्रालय के मामले में उसे महासचिव का नाम दिया गया है । यह अच्छा नहीं लगता । इस मामले की जांच की जानी चाहिये ।

अब मैं इस मंत्रालय द्वारा की गई भारी भूलों के बारे में कुछ कहूंगा। अमरीका के भुतपूर्व राष्ट्रपति श्री केनेडी की मृत्यु से सारे विश्व को क्षोभ हुआ था। स्वयं हमारे प्रधान मंत्री ने कह था कि राष्ट्रपति केनेडी विश्व शांति के बड़े समर्थक तथा शांति दूत थे और भारत के विश्वसनीय मित्र थे। बहुत ही दुखद परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई थी। रूस ने भी पुराने वैरभाव को भुला कर अपने दूसरे महानतम व्यक्ति को राष्ट्रपति केनेडी की अन्त्येष्टि क्रिया में भाग लेने के लिए भेजा था। परन्तु यह खेद का विषय है कि भारत की ओर से उनके अन्तिम-संस्कार में भाग लेने के लिये कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था। जब संसद् में यह प्रश्न उठाया गया तो सरकार की ओर से कह दिया गया कि कोई उपयुक्त परिवहन साधन उपलब्ध न होने के कारण भारत का कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा जा सका। क्या भारत सरकार के पास विमानों की कमी थी ? मंत्रालय ने इस बारे में जो रवैया अपनाया है, वह देश के लिये हितकर नहीं है।

एक अन्य अभूतपूर्व घटना यह हुई है कि राष्ट्रपति आरेफ जो इस देश में राज अतिथि के रूप में आये थे, उन्होंने वास्तव में भारत में पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री अयूब खां के विमान में प्रवेश किया था जो कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों की घोर असावधानी का द्योतक है।

इसके पश्चात् काहिरा में हमारे राजदूत द्वारा चीनी दूतावास द्वारा चीन के प्रधान मंत्री के स्वागत में दिये गये भोज में भाग लेने का प्रश्न आता है। हमारे प्रधान मंत्री ने सभा में कहा था कि हमारे राजदूत ने हिदायतों को ठीक प्रकार नहीं समझा और उनका उस भोज में भाग लेने का वही एक कारण था। हमारे राजदूतों को वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा स्पष्ट हिदायतें दी जा चुकी थीं कि चीनी दूतावासों द्वारा किये जाने वाले अतिथि-सत्कार में भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों को भाग नहीं लेना है और न ही भारतीय दूतावासों तों द्वारा आयोजित समारोह में चीनी राजनयिक कर्मचारियों को निमंत्रित करना है। फिर भी काहिरा में हमारे राजदूत ने चौथी बार इस मंत्रालय से पूछताछ की कि क्या वे चीन के प्रधान मंत्री के स्वागत में दिये जाने वाले भोज में भाग ले सकते थे। और "नहीं" में जवाब दिये जाने पर भी उन्होंने उस भोज में भाग लिया। क्या ऐसे व्यक्तियों पर यह भरोसा किया जा सकता है कि वे भारत की नीतियों का ठीक प्रकार अर्थ निकालेंगे हमें बताया जाना चाहिये कि भविष्य में ऐसी घटनायें न हों, इसके लिये क्या उपाय गिये गये हैं।

तिब्बत पर चीनी प्रभुत्व के प्रश्न के बारे में भी यही गलतफहमी हुई थी। चूंकि हमारे राजदूत ने हिदायतों को ठीक प्रकार नहीं समझा था इसलिये संधि पर हस्ताक्षर करके तिब्बत की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी। यह बड़े खेद का विषय है कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों पर ही इन हिदायतों का गलत अर्थ लगाया जाता है।

संयुक्त अरब गणराज्य ने भारत का हर अवसर पर समर्थन किया है परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि संयुक्त अरब गणराज्य के राजदूत को विदा करने के लिए सत्काराध्यक्ष (चीफ आफ प्रोटोकोल) के अतिरिक्त, अन्य कोई उच्चाधिकारी हवाई अड्डे पर उपस्थित नहीं था जब कि हम अरब देशों के साथ मित्रता बनाये रखना चाहते हैं।

इस मंत्रालय के गोलमाल का एक और उदाहरण यह है कि अल्जीरिया की स्वतन्त्र सरकार को ३४ स्वतन्त्र देशों ने मान्यता दे दी थी परन्तु हमारी सरकार ने उसे मान्यता नहीं

[श्री नाथ पाई]

दी क्योंकि वह फ्रांस को नाराज नहीं करना चाहती थी। इन बातों के बावजूद भी हम इस भ्रम में हैं कि अरब देश हमारा साथ देंगे। यह एक विचित्र बात है कि हम एक ओर तो अरब देशों को नाराज न करने के लिये इजराइल को मान्यता नहीं देना चाहते और दूसरी ओर फ्रांस को नाराज न करने के उद्देश्य से अल्जीरिया के लोगों के साथ न्याय नहीं करना चाहते यही कारण है कि जहां कहीं भी चीन के प्रधान मंत्री श्री चाऊ-एन-लाई गये उनका भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि भारत पर आक्रमण करने के पश्चात् चीन का कोई समर्थक नहीं रहा है। परन्तु ऐसा कहने मात्र से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। श्री खाडिलकर ने हम सब पर सभा में चिल्लाने का आरोप लगाया है, परन्तु मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि हम इस काम में उन्हें मात नहीं दे सकते।

श्री खाडिलकर : मैंने कहा था कि हमसे बहुत से ऐसा करते हैं—सब नहीं।

श्री नाथपाई : प्रधान मंत्री ने कहा है राष्ट्र की प्रभुसत्ता और मान को कायम रखने के लिये हम किसी भय या धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। श्री खाडिलकर उस भाषण को पढ़ने की कृपा करें।

परिवर्तनीय संसार में हमारी स्थिति भी बदल गई है। परन्तु सरकार तथा इसके समर्थ यथार्थताओं से विमुख हो कर मिथ्या कल्पनाओं में रहते हैं। राष्ट्रपति जानसन ने भी कहा है कि हमें अपने मान की रक्षा करनी होती है। संसार दो गुटों में विभक्त नहीं रहा। १५–१६ वर्षों में १५ नवीन राष्ट्र स्वतंत्र हो गये हैं। परिवर्तन चीनी शत्रुता और भारत सरकार की कमजोर में अन्तर नहीं आया।

हम संसार में इस प्रकार खड़े हैं कि कोई भी हमारा विश्वस्त मित्र नहीं है। कहा जाता है कि चीन पृथक हो गया है और चारों ओर हमारे मित्र हैं। परन्तु स्थिति यह है कि शत्रु हम पर हंसते हैं और संसार दया की दृष्टि से देखता है हमारा मान, प्रभाव सब समाप्त हो गया है। विदेश कार्य मंत्रालय को सोचना चाहिये कि उन्होंने किस प्रकार मित्र खोकर शत्रु बनाये हैं।

इस दुर्दशा के कारण ये हैं कि हम अपने आपको बिल्कुल सही मान कर चलते हैं। हमारे अन्दर भय समाया है। दूसरे हम प्रत्येक संकट को आदर्श के द्वारा हल करना चाहते हैं। मुख्य कारण यह है कि हमने शक्तिशाली राष्ट्रों की खुशामद करनी शुरू करके उनको अपना मित्र माना। आवश्यकता इस बात की है कि हमें परिवर्तन हुए समय की गतिविधि और नजाकत को समझें और उसके अनुसार अपना दृष्टिकोण एवं कार्यक्रम तय करें। हमें केवल स्वप्न लोक में नहीं रहना चाहिये, बल्कि यथार्थ जगत में ठोस धरती पर पांव रख कर खड़े होना चाहिये। हम अपने मित्रों और शत्रुओं में भेद कर के तदनुसार व्यवहार करना चाहिये। हमें अपनी नीति में समुचित परिवर्तन करना होगा और उसके अनुकूल ही उपाय करने चाहियें।

यह कितने खेद एवं दुख का विषय है कि हमारे दोनों ओर शत्रु राज्य हैं, उत्तर में चीन और पश्चिम में भारत। परन्तु हमने अभी तक उन दोनों देशों से निपटने के लिये कोई दीर्घ कालीन व्यवस्था एवं नीति निर्धारित नहीं की है। हमें शीघ्र ही अपनी दीर्घ-

कालीन नीति बनानी चाहिये जो अपने देश तथा राष्ट्र के सम्मान के अनुकूल हो । हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम निर्भयता के साथ और साहस पूर्वक दुनिया को यह जता दें कि संसार का कोई राष्ट्र हमारा मित्र रहे या न रहे, परन्तु हम अपने देश की मान तथा प्रतिष्ठा पर कभी धब्बा लगने नहीं लगने देंगे और जब हमारे राष्ट्र का सम्मान खतरे में होगा, तब भी हम कभी झुकेंगे नहीं और समझौता नहीं करेंगे। काश्मीर की समस्या के बारे में अगर हम संयुक्त राज्य अमरीका और इंगलैंड की सरकारों द्वारा अपनाये गये रवैये का कड़ा विरोध करते और उन सरकारों को सुस्पष्ट रूप से अपना दृढ़ मत बतला देते तो निश्चय ही उसका परिणाम बेहतर होता। परन्तु हमने अपनी शिथिलता या भय की नीति के कारण वैसा नहीं किया और हमें उसके सुपरिणाम स्पष्ट दिखाई देते हैं।

भारत के ऊपर इस बात का दवाब डाला जा रहा है कि हम वस्तुस्थिति की औचित्यता एवं यथार्थता को देखते हुए चीन के आगे झुकें। परन्य यह सर्वथा गलत है। हमारे देशवासी और हम सभा के सदस्य इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपितु चीन के आगे झुकने का सदा विरोध करेंगे। सरकार को यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये और अपनी नीति को तदनुसार बनाना चाहिये। हम यह देख रहे हैं कि चीन ने पाकिस्तान तथा कुछ अन्य राष्ट्रों के साथ मित्रता बना कर और हमारे विरोध विषैला प्रचार करके यह प्रयत्न किया है कि हम जगत से पृथक हो जाए और कोई भी देश हमारे साथ मित्रता न दिखाए। परन्तु हम को भी दृढ़ निश्चय हो कर चीन की इस चाल को असफल बनाना होगा। तभी हम संसार में खड़े रह सकेंगे।

भारत को अपने पांओं पर खड़े रहना है और सत्य का सहारा लेना है। हमें चाहिये कि हम अपने भाग्य पर विश्वास रखें और अपने प्रति भी हम में विश्वास और साहस की भावना होनी चाहिये। यदि हम संसार को यह सुस्पष्ट रूप से से प्रकट कर दें कि हमारे अन्दर आत्म साधन की भावना है और हम उसको कायम रखने के लिये प्रत्येक कुर्बानी करने के लिये तैयार हैं तो निश्चय ही संसार के देश और विशेषतः आज जो शत्रुता का भाव रखते हैं, उनको इस बात के लिये बाध्य होना पड़ेगा कि वे हमारी क्षेत्रीय सीमाओं का सम्मान करें और भविष्य में इस देश की ओर कुदृष्टि न रखें।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर): सभी सदस्यों ने काश्मीर समस्या का उल्लेख किया है। काश्मीर संबंधी नीति के बारे में लोगों ने अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार विचार व्यक्त किया है। स्वतंत्र पार्टी वहां नये निर्वाचन चाहती है और श्री प्र० के देव उसे पूर्णतः भारत में मिलाना चाहता है और वहां मिली जुली सरकार बनाना चाहते हैं।

काश्मीर पर पाकिस्तानियों ने आक्रमण किया और हमने सुरक्षा परिषद में यह प्रश्न उठाया। पुनः हमें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। श्री चागला ने सुरक्षा परिषद में सुस्पष्ट कहा कि काश्मीर भारत का अंग है और धारा ३७० हटा ली जाएगी। अब वह पुनः सुरक्षा परिषद में जा रहे हैं। अतः उस आश्वासन को हमें नहीं भूलना चाहिये।

[श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा]

काश्मीर के संबंध में हमारी सरकार ने कोई दृढ़ नीति नहीं अपनाई और इसी कारण राज्य की जनता में एवं भारत की जनता में काश्मीर के बारे में सन्देह एवं अनिश्चितता बनी हुई है और जब तक हम दृढ़ नीति नहीं अपनाएंगे, यह स्थिति बनी रहेगी। हमारी नीति में निष्ठा एवं सत्यता तो है, परन्तु दृढ़ता का सर्वथा अभाव है। पाकिस्तान जब कभी सुरक्षा परिषद में काश्मीर का मामला उठाता है तो हम उस चर्चा में भाग लेने के लिये जाते हैं। परन्तु हमें यह सोचना चाहिये कि जब पाकिस्तान आक्रमणकारी है और उसे काश्मीर का अनधिकृत भाग छोड़ना चाहिये तो हम उसके कहने पर बुलाई गई सुरक्षा परिषद की बैठकों में क्यों भाग लेने जाते हैं। हमें इसके संबंध में दृढ़ रवैया अपनाना होगा और यह घोषणा करनी होगी कि अब हमें पाकिस्तान की शिकायत पर सुरक्षा परिषद में काश्मीर संबंधी चर्चा में भाग नहीं ले सकते।

काश्मीर के भूतपूर्व प्रधान मंत्री शेख अब्दुल्ला, जो वर्षों में कारावास में थे, उनके छूट जाने से राज्य में उचित वातावरण बनेगा ऐसी आशा करनी चाहिये। हमें यह भी आशा करनी है कि वहां नवीन समस्याएं पैदा नहीं होंगी, बल्कि जो समस्याएं पहले से विद्यमान हैं, वे भी सुलझ जाएंगे। काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सदा भारत के साथ रहेगा। अतः हमें ऐसी आशंका या यह नहीं मानना चाहिये कि वहां राजनीतिक परिवर्तन होने से कोई अव्यवस्था होगी। हमें इसके बारे में निश्चित रहना चाहिये। कि वहां ऐसी कोई अव्यवस्था या गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में जो सरकार काम कर रही है वह भरसक प्रयत्न कर रही हैं कि राज्य के अन्दर जो तनाव फैला हुआ है, उसको हर प्रकार से कम करे और वहां राजीनिक निश्चितता या स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए वहां के भूतपूर्व प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को रिहा किया गया है ताकि वहां के विविध वर्गों में सद्भावना उत्पन्न हो और स्थायी व्यवस्था कायम हो सके। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वहां राज्य में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने एवं तनाव कम करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा की गई प्रत्येक कार्यवाही में सरकार को पूर्ण सहायता एवं सहयोग प्रदान कर सके, जिससे राज्य सरकार के साथ मजबूत हों और वह अपनी कार्रवाइयों को सफलता पूर्वक चला सके। भारत की जनता को भी चाहिये कि वह ऐसी कोई कार्रवाई न करे जिससे काश्मीर राज्य में तनाव फैलें और शान्ति भंग हो। हमें काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मान कर वहां के लिये प्रत्येक सहायता एवं व्यवस्था में योग देना चाहिये।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : मैं भारत के उन महान नेताओं के साथ रहा हूं जिन्होंने काश्मीर को भारत के साथ मिलाने के लिये संघर्ष किया। हमें निर्भय होकर स्पष्ट बात कहनी चाहिये। काश्मीर में हाल में जो घटनाएं हुई उनके कारण भारत की जनता में बड़ी आशंकाएं उत्पन्न हो गई। सरकार की नीति क्या है? मैं सभा में इस बात की मांग करता हूं कि श्रीनगर जेल में डा० श्याम प्रसाद मुकर्जी की मृत्यु के संबंध में जांच आयोग स्थापित होना चाहिये। प्रधान मंत्री को जनता की आशंकाओं को दूर करने के लिये एक सुस्पष्ट वक्तव्य देना चाहिये। कि काश्मीर बातचीत का विषय नहीं है।

तब अनेक आशंकाएं और कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। वह बात भी स्पष्ट होनी चाहिये कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हम अपने क्षेत्र अथवा प्रभुसत्ता को छोड़ नहीं सकते। यह भी आश्वासन मिलना चाहिये कि शेख अब्दुल्ला की रिहाई से नीति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। काश्मीर के मामले में जो नीति अपनाई गई है, उससे पीछे हटने की जरूरत नहीं है।

अमरीका और इंगलिस्तान अपने पिट्ठू पाकिस्तान की सहायता कर रहे हैं। इसलिये हमें स्वतंत्र काश्मीर की बात को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करना चाहिये। हमें देश के महानसबूत की कुर्बानी का आदर करना चाहिये और उसे हम काश्मीर को पूर्णतः भारत के साथ मिलाकर पूरा कर सकते हैं। हमें काश्मीर के लिये जीवानाहुति देने वाले हजारों जवानों के त्याग एवं कुर्बानी को भी समरण रखना चाहिये। काश्मीर और भारत के पूर्ण विलय के संबंध में बहुत सी शक्तियां इन १०–११ वर्षों में काम करती रही है। अतः उस स्थिति को कमजोर करने वाली कोई बात नहीं की जानी चाहिये। इस आशय का आश्वासन दिया जाए कि भारत के साथ काश्मीर के पूर्ण विलय की गति को रोका न जाए। काश्मीर का भाग्य पूर्वी पाकिस्तान के ९० लाख हिन्दुओं के भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। आश्चर्य का विषय है कि हजरतबल मस्जिद से हजरत के बाल के गुम होने के परिणाम स्वरूप जैसोर और खुलना में जानबूझकर हिन्दुओं का नर संहार किया गया। वहां से केवल २ लाख आये हैं, ९० लाख वहीं पर हैं। १० लाख बौद्ध और ईसाई भी हैं जिनका भाग्य खतरे में हैं। इस नरसंहार को तुरन्त रोकना चाहिये। यदि पूर्वी पाकिस्तान में नृशंस नर-संहार होता तो पश्चिम बंगाल में कोई घटना न होती। परन्तु सरकार की यह खुश करने की नीति के कारण देश को भारी हानि उठानी पड़ रही है।

काश्मीर के संबंध में हमारी सरकार ने तीन प्रमुख गलतियां की हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि हमने संयुक्त राष्ट्र में मामला उठाया। दूसरी महान गलती युद्ध विराम रेखा को मानने की। तीसरी महान गलती काश्मीर में जनमत संग्रह करवाने की बात करके की। यह भी बड़े दुखद की बात है कि सुरक्षा परिषद की बैठकों में भी हम निर्भयता के साथ अपनी बात नहीं कह पाये और हम हमेशा अपना बचाव करने में ही लगे रहे। हमने कभी भी पाकिस्तान पर निडर होकर आरोप लगाने का साहस नहीं दिखाया। हमने अपने कर्तव्य में चूक की है।

अब पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों के संबंध में भारत तथा पाकिस्तान के गृह मंत्रियों की जो बैठक हो रही है, उसमें हमने अपनी बात स्पष्ट रूप से खुल कर और निडरता के साथ नहीं रखी। हम बेकार में बचाव की ओर लगे हुए हैं। हमें तो खुलकर पाकिस्तान के अत्याचारों का खण्डन और विरोध करना चाहिये। कितने दुख का विषय है कि हम दुनिया को यह भी नहीं बताते कि पाकिस्तान ने जानबूझकर हिन्दुओं को नष्ट करने के लिये एक योजना बना कर नरसंहार किया है। यह कितनी शर्म की बात है कि इधर तो गृह मंत्री बातचीत में लगे हुए हैं और उधर पाकिस्तान से आने वाले लोगों की गाड़ी को रोक लिया गया है और लोगों को भारतीय सीमा में नहीं आने दिया जाता। इस प्रकार की नाकाबन्दी पाकिस्तान की दूसरी शरारत है। यह विचित्र तमाशा हो रहा हैं और हम देख रहे हैं। नेहरू–लियाकत सन्धि की सर्वथा अवहेलना की जाती है।

[श्री नी० चं० चटर्जी]

मुसलमानों को तो सुरक्षित पाकिस्तान भेजा जाता है परन्तु हिन्दुओं को सुरक्षित भारत आने नहीं दिया जाता। हजारों ईसाइयों को गारों पहाड़ियों में आने को बाध्य होना पड़ रहा है। हिन्दुओं पर गोली चलाई जाती है। इस को तुरन्त रोकना चाहिये।

सरदार पटेल के शब्दों को मानकर हमें पाकिस्तान से उजड़ कर आये भाइयों के लिये पाकिस्तान से भूमि मांगनी चाहिये। जिन्नाह के कहने पर कि वह हिन्दुओं और मुसलमानों में भेदभाव नहीं करेगा, पाकिस्तान को अधिक भूमि दी गई थी। सरदार पटेल ने साहस पूर्ण घोषणा की थी। अब गृहमंत्री या प्रधान मंत्री क्यों उस घोषणा को क्रियान्वित नहीं करते और पाकिस्तान से भूमि मांगते। जिन क्षेत्रों से हिन्दुओं को निकाला गया है, उनको मांगना हमारा नैतिक अधिकार है। परन्तु हमारी सरकार केवल बातें करती है और काम नहीं करती। कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति श्री जगजीवनराम ने भी पाकिस्तान से भूमि मांगने की मांग की है ताकि वहां विस्थापित लोगों को बसाया जा सके। पाकिस्तान के हिन्दू वहां कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। पाकिस्तान का कोई संविधान नहीं है और न ही वहां की जनता के पास संविधानिक अधिकार हैं। पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जहाद कर रखा है और उनकी नीति का आधार भी यही है। हमें पाकिस्तान से मामूली मामूली बातें नहीं करनी चाहिये बल्कि सरदार पटेल की घोषणा के अनुसार भूमि मांगनी चाहिये। यदि पाकिस्तान उसको पूरा न करे, तो हमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिये।

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना): आधुनिक संसार का मुख्य सिद्धान्त शान्ति स्थापित रखना है। विश्वशांति न रहने से कोई भी देश जीवित नहीं रह सकता। भारत की नीति इस विश्व शांति को कायम रखने की रही है। हमें विकास की ओर अधिक ध्यान देना है ताकि हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठे। जब लोगों के लिये खाने और पहनने के लिये कुछ न हो, तब स्वायत्तता या प्रभुसत्ता का कोई महत्व नहीं होता। हमें जनता को भोजन और वस्त्र देने की व्यवस्था करनी है।

प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने विश्व में विश्वशान्ति का नारा लगाया है और इसको ही अपनी विदेश नीति में प्रमुख स्थान दिया है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सबंधी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILL AND RESOLUTION
चालीसवां पतिवेदन

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चालीसवें प्रतिवेदन से, जो ८ अप्रैल १९६४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है।।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के

चालीसवें प्रतिवेदन से, जो ८ अप्रैल १९६४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(अनुच्छेद २१७ का संशोधन)

श्री पु० र० पटेल (पाटन): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री पु० र० पटेल: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(सातवीं अनुसूची का संशोधन)

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक
SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT BILL
(धारा ३ और ५ का संशोधन)

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैं इसका विरोध करता हूं।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : Sir, I rise on a Point of Order.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Sir, I rise on a Point of Order.

उपाध्यक्ष महोदय : पहले प्रस्ताव को प्रस्तुत करने दीजिये। फिर व्यवस्था का प्रश्न उठाइए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Deputy Speaker, it is clear from the copy of this Bill we have received that the notice of the Bill was given on 3rd April, 1964. But according to rules regarding one month's notice is necessary for Private Members' Bills. Without the permission of the hon. Speaker this Bill cannot be moved. If permission has been accorded by the Speaker, I do not understand that there is any justification for it because no such situation has arisen which calls for this permission by waving the rule to this effect. This is the only Point of order raised by me.

Mr. Deputy Speaker : There is no question of any Point of Order as the hon. Speaker's permission had already been obtained to move this motion.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : On a Point of Order Sir.

Mr. Deputy Speaker : What is the Point of Order?

Dr. Ram Manohar Lohia : Permission to move this Bill which seeks to raise the salaries and allowances of Members of Parliament should not be given. Instead of trying to raise their emoluments, the hon. Members should endeavour to bring forward a suitable Legislation for bringing down the soaring prices. The proposed Bill will create a bad impression in the minds of the people of this country as well as those of other countries that the Members of Parliament are particular about their own well being ignoring the interests of 44 crores of people living in this country.

Mr. Deputy Speaker : The hon. Member is speaking on the merits of this Bill. Therefore, the question of any Point of Order does not arise. It has been moved with the prior permission of the hon. Speaker.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं विधेयक का विरोध करना चाहता हूं। जब देश के २७ करोड़ लोग प्रति दिन केवल साढ़े सात आने कमाते और जब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केवल २ रुपए की वृद्धि की है तो संसद् सदस्यों के वेतन को बढ़ाकर ५०० रुपए और दैनिक भत्ते को बढ़ाकर ३१ रुपए करना अनैतिक बात है। यह विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए अन्यथा हम संसद् सदस्य संसार के लिए आलोचना का विषय बन कर रह जायेंगे, इस विधेयक पर सभा में मतदान किया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन माननीय सदस्य अपने वेतन भत्ते में वृद्धि चाहते हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : May I make a submission in this regard?

Mr. Deputy Speaker : Please resume your seat. Only one Member of your Party could be allowed to express his views and it has already been done.

श्री रघुनाथ सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको विधेयक को पुरःस्थापित करने के कारणों को स्पष्ट करना चाहिए।

Shri Raghunath Singh : The main reason of bringing forward this Bill is that the price level in the country has gone very high. We are paying more as house rent, telephone charges etc. I think all the hon. Members realise this thing. In these circumstances I submit that in case the Members of Parliament are expected to discharge their duties sincerely and honestly, it is necessary that a suitable atmosphere should be created for the purpose *i.e.*, their emoluments have to be raised.

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक औचित्य प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : औचित्य प्रश्न क्या है ?

Shri S. M. Banerjee : The hon. Member stated that unless the emoluments are raised, the Members of Parliament cannot work honestly, which is an insinuation......

Mr. Deputy Speaker : Order, Order.

प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में ९६; विपक्ष में १२

Ayes : 96 Noes : 12

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री रघुनाथ सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I walk out.

उपाध्यक्ष महोदय : शांत शांति। जो सदस्य सभा से बाहर जाना चाहते हैं जा सकते हैं।

इस के पश्चात् डा० राम मनोहर लोहिया तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

At this stage, Dr. Ram Manohar Lohia and some other hon. Members left the House.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद ८४ और १७३ का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री हरि विष्णु कामत द्वारा प्रस्तुत विधेयक को मतदान के लिए सभा के सामने रखूंगा। पिछली बार सभा में गणपूर्ति न होने के कारण यह स्थगित कर दिया गया था।

संविधान (संशोधन) विधेयक के कारण इस पर मतदान होना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में १० ; विपक्ष में ९८

As : 10 Noes: 94

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was nagatived.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद १२४ और २१७ का संशोधन)

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्तुत विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध समाज में व्यवस्था बनाए रखने से है।

समाज के विकास के साथ साथ समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ी। सब से पहिले रोम में धर्म निरपेक्ष कानून बना बाद में प्रगति के साथ साथ अन्य देशों में भी अनेक कानून बनाए गए। चाहे किसी देश में कोई भी कानून रहा हो किन्तु सब इस परिणाम पर पहुंचे कि कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं। कानून की व्याख्या करने के लिए न्यायाधीश होते हैं।

[**श्री सोनावने** पीठासीन हुए।]
[SHRI SONAVANE *in the Chair*]

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अधिक उत्तरदायित्व तथा महत्व का काम करते हैं। वे नियम बनाते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। उच्चतम न्यायालय का निर्णय किसी मामले में अन्तिम निर्णय होता है। अतः यह आवश्यक है कि इन न्यायालयों के न्यायाधीशों को पूरा सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो ताकि वे अपना कर्तव्य पूरे उत्तरदायित्व के साथ निभा सकें।

अन्य देशों में उदाहरणार्थ, इंग्लैण्ड और अमरीका में न्यायाधीश जीवन भर के लिए नियुक्त किए जाते हैं। प्रायः वे ७५ वर्ष की आयु में सेवानिवृत हो जाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद अमरीका में उन्हें पूरा वेतन दिया जाता है। किन्तु यदि न्यायाधीश काम करने योग्य हो और वह अपने पद पर काम करना चाहता हो तो उसे पूरा अधिकार होता है कि वह अपने पद पर बना रहे। किन्तु हमारे संविधान के अनुसार, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ६२ वर्ष तक और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु तक अपने पद पर काम कर सकता है।

इस समय स्थिति यह है कि विधिजीवी परिषद् (बार) से उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उस समय नियुक्त किए जाते हैं जब उनकी आयु ६० वर्ष के लगभग होती है। उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद पर क्रमशः २ वर्ष और ५ वर्ष तक काम करने का अवसर मिल पाता है। उन्हें इस छोटे से कार्य काल में मुकदमों संबंधी कानून में कोई अंशदान करने का अवसर नहीं मिल पाता है।

हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारे पड़ौसी देश हम से बहुत आशा करते हैं। अतः हमें व्यापक दृष्टिकोण अपना कर अन्य देशों का मार्ग दर्शन करना चाहिए। इसलिए इस विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु ६५ वर्ष तक और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवत्ति की आयु ७० वर्ष तक बढ़ा दी जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : पहिले ही न्यायाधीशों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो अन्य असैनिक अथवा सैनिक कमचारियों को प्राप्त नहीं हैं। सेवानिवृत्ति की आयु को ही लीजिए, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्ययाधीशों के लिए यह आयु क्रमशः ६२ वर्ष तथा ६५ वर्ष निर्धारित की गई है जबकि अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम सीमा ५८ वर्ष निर्धारित की गई है। इस विधेयक में उनकी सेवा निवृत्ति की आयु को और अधिक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इस से न्यायाधीशों को और विशेषाधिकार मिलेंगे जिससे वे समाज से बिल्कुल अलग समझे जायेंगे। इस प्रकार समाज में भेदभाव की भावना बढ़ेगी। वास्तव में यह विधेयक मनुमहाराज की उस विचारधारा पर आधारित है जिसके परिणामस्वरूप आज देश में जातिवाद विद्यमान है।

न्यायाधीशों का जीवन भर पदारूढ़ रहना अन्य देशों के वातावरण के अनुकूल हो सकता है किन्तु भारत जैसे ऊष्ण देश के लिए नहीं।

यद्यपि देश में आर्थिक तथा सामाजिक विकास के साथ साथ लोगों की आयु में भी काफी वृद्धि हुई है, किन्तु यह आशा करना निराधार है कि भारत जैसे ऊष्ण जलवायु वाले देश में न्यायाधीश ७० वर्ष की आयु तक पूरी क्षमता से कार्य कर सकेंगे। न्यायाधीशों का कार्य उत्तरदायित्व पूर्ण होता है जिसमें शारीरिक शक्ति और स्मरणशक्ति दोनों की आवश्यकता होती है जिसका इस आयु में होना असंभव है।

यदि फिर भी यह कहा जाए कि न्यायाधीशों की कार्यावधि बढ़ायी जानी चाहिए तो वही बात अन्य सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होनी चाहिए जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों में काम करते हैं।

[श्री दी० चं० शर्मा]

मेरा निवेदन यह है कि इस समस्या के बारे में किसी भी प्रकार का निर्णय करने का यह समय नहीं है। मेरे विचार में स्वतन्त्र भारत के न्यायाधीशों की पद निवृत्ति की आयु को ६२ वर्ष तक बढ़ा कर अच्छा ही किया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवा निवृत्त होने की आयु ६५ कर दी गयी है। और इसे आगे बढ़ाए जाने की अब कोई बात नहीं है। हमें संविधान में छोटी छोटी बातों के लिए संशोधन करने की मनोवृत्ति को छोड़ना चाहिए, इस विधेयक का विरोध किया जाना चाहिए और जो कुछ राज्य के अन्य अधिकारियों को मिलता है उससे अधिक न्यायाधीशों को मिलना उचित नहीं।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : यह विधेयक श्री कृ० चं० शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अतः इस पर विचार किया जाना चाहिए। देश में औसत आयु ३२ से ४७¹/₂ हो गयी है। परन्तु औसत बुद्धि में भी वृद्धि हुई है, ऐसी बात उन्होंने नहीं कही है। उन्होंने उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में जो भेदभाव किया है, उसकी भी मुझे समझ नहीं आई। आज तो हमारी सामाजिक व्यवस्था का आधार ही समानता है। हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर विशेषाधिकार देने के विरोधी हैं। दोनों के बीच ५ वर्ष का अन्तर अच्छी बात नहीं है। दोनों अदालतों के न्यायाधीशों को सेवा शर्तों के मामले में एक जैसा समझा जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय को आदर अधिक मिलना चाहिए। मंत्रियों और विधान मंडलों के सदस्यों को भी इस मामले में एक साथ नहीं रखा जा सकता क्योंकि उन लोगों का तो हर पांचवें वर्ष चुनाव हो जाता है। कौन योग्य है और कौन अयोग्य इस बात का पता चुनाव से लग जाता है। न्यायाधीशों के बारे में स्थिति नहीं है। वह तो अपनी वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त होंगे। संविधान में तो यह व्यवस्था है कि वरिष्ठता से भी अधिक स्थान योग्यता को दिया जाना चाहिए। यह दूसरा तर्क है जो कि इस विधेयक के उपबंधों के विरुद्ध दिया जाना चाहिए।

मेरा निवेदन यह है कि जो भी तर्क इस विधेयक के पक्ष में दिये गये हैं वह प्रभावशाली नहीं हैं। उन्हें सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। विधेयक में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में जो भेदभाव किया गया है वह उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। दोनों ही अदालतों के न्यायाधीशों के सेवा निवृत्त होने की आयु एक जैसी होनी चाहिए। यदि सेवा की आयु सीमा में वृद्धि करनी है तो यह सभी किस्म के न्यायाधीशों में सामान्य होनी चाहिये। भेद-भाव को ठीक नहीं कहा जायेगा। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान में सामाजिक न्याय की जो बात स्वीकृत है, इस विधेयक के उपबन्ध उसके विरुद्ध जाते हैं। देश मे बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेवा निवृत होते हैं और उनकी आयु इससे कम है। इसका मतलब यह हुआ कि उन से इस मामले मे भेद-भाव किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि अभी हाल ही मे सदन में एक विधान स्वीकार कर के न्यायाधीशों की आयु ६२ वर्ष निर्धारित की थी। इस विधान को पास हुए डेढ़ वर्ष हो चुका है परन्तु राज्य विधान मंडलों ने इसे स्वीकार नहीं किया ? मेरे विचार में आज की स्थिति में आयु का बढ़ाना ठीक नहीं कहा जायेगा। हां उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों में भेद-भाव नहीं होना चाहिये। यदि प्रस्तावक महोदय यह भेदभाव न लाते तो मैं उन्हें मुबारकबाद देता। मेरा उन से निवेदन है कि उन्हें इस विधेयक को वापिस ले कर इसी मतलब का अन्य विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): I may state first of all that there is no basis for the average increase in the expectancy of life. I have my doubts about it. My opinion is that if there is any increase in the expectancy of life, that had been due to decrease in the mortality rate of infants. It is no way indicates that the average age of an Indian has gone up.

Now coming the Bill, I may state that the Bill ignores the things which we normally expect from the judges. The unnecessary things have been included in the Bill. It is expected of the member of the judiciary to protect us from unlawful detention etc. and give us full help which he can give us under the clause 20, and 21 of the constitution. Under the law the judge has every right to do so. This can be exception to this only when the President has declared emergency and ordinary law is not in force.

[**उपाध्यक्ष-महोदय** पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

I would also expect that a judge will normally ensure the due process of law and to guarantee freedom from the wrongful arrest to a citizen. No matter, even if the apprehension of such arrest was from the executive or from the legislature. Express difference between the rule and the law should be maintained. Also there must be some express provision in a law whereby the implementation of guarantees regarding wrongful arrest were made the responsibility of the judiciary. There should be some law so that the judges should be made immune from any kind of arrest. In this way a judge will be able to function in the discharge of his duties unhampered. We should accept this principle that the decision of the judge or the court will be supreme as far as the interpretation of law is concerned.

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड-उत्तर): श्री कृ० चं० शर्मा द्वारा उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है उसकी मैं सराहना करती हूं। परन्तु मुझे खेद है कि उन्होंने जिला अदालतों के न्यायाधीशों से कोई सहानुभूति प्रकट नहीं की। उन्हें भी तो ५५ वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होना होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ६० वर्ष की आयु में और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ६२ वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त हो, पुरानी नौकरशाही के दिनों की याद दिलाता है। इस आयु के भेद-भाव का कोई कारण नहीं है। मेरे विचार में दोनों की अदालतों के न्यायाधीशों के सेवा निवृत्त होने की आयु ६५ वर्ष होनी चाहिए। मैं ने इस बात का इससे पहिले भी विरोध किया था। हम अपने देश में अपने हालात के अनुसार ही चल सकते हैं। हम इस मामले में अमरीका तथा अन्य देशों की नकल नहीं कर सकते।

हमारे देश में न्यायपालिका का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। विधि आयोग ने भी यह सिफारिश की है कि दोनों अदालतों के न्यायाधीशों के सेवा निवृत्त होने की आयु एक ही होनी चाहिए। सरकार ने इस सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया, मेरे विचार में सरकार को इस मामले पर पुनः विचार करना चाहिए। यह बहुत ही अच्छी बात होगी यदि दोनों ही मामलों में आयु एक हो। और यही आयु जिला अदालतों के न्यायाधीशों की भी होनी चाहिए। मेरा यह भी निवेदन है कि इस विधेयक के स्थान पर अन्य भिन्न प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

श्री ओझा (सुरेन्द्रनगर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। अभी पिछले वर्ष हम ने पन्द्रहवें संशोधन द्वारा उच्च न्यायालयों के जजों के सेवानिवृत्त होने की आयु ६२ वर्ष तक बढ़ाई थी। उस समय सभी सम्बद्ध पहलुओं पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि उच्चतम न्यायालय के जजों के सेवानिवृत्त होने की आयु न बढ़ाई जाय। मेरे पूर्ववक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के जजों के सेवानिवृत्त होने की आयु एक समान होनी चाहिए, परन्तु मैं इससे सहमत नहीं हूं। राष्ट्र के सामान्य स्वास्थ्य एवं जीवन काल को दृष्टि से कार्यपालक अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने की आयु ५८ वर्ष निर्धारित की गयी है। अतः मैं समझता हूं कि कार्यपालक अधिकारियों तथा न्यायपालिका के जजों आदि की सेवानिवृत होने की आयु में अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के जजों के सेवानिवृत्त होने की आयु में अन्तर रहना ही चाहिए चूंकि उच्चतम न्यायालयों के जज सीधे नियुक्त नहीं किये जाते। मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालयों मे से उच्चतम न्यायालय के जजों को नियुक्त करते हैं और वह यही देखते होंगे कि अमुक जज ६२ वर्ष की आयु के पश्चात काम करने योग्य हैं अथवा नहीं। इसलिये यह अन्तर युक्तियुक्त ही है।

इसके अतिरिक्त हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सेवा निवृत्त होने की आयु बढ़ाये जाने से देश में बेरोजगारी की समस्या और विकट रूप धारण करती है। आवश्यकता इस बात की है कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर कर्मचारी को निवृत्ति-वेतन दिया जाय और अन्य लोगों को काम पर लगने के अवसर मिलें।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : इस विधेयक के प्रस्तावक ने जो तर्क इस के पक्ष में दिये हैं, मैं उन से सहमत नहीं हूं।

मैं इस विधेयक को इस कारण अस्वीकार करने के पक्ष में हूं कि यह अगस्त, १९६२ मे पुरःस्थापित किया गया था और जब संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक सभा के सम्मुख आया तो यह लम्बित था। उस संविधान संशोधन विधेयक पर पूरी तरह विचार कर के उसे पारित किया गया और उच्च न्यायालयों के जजों का सेवा काल ६२ वर्ष तक बढ़ा दिया गया।

इस विधेयक के प्रस्तावक ने विधेयक के पक्ष मे जो तर्क दिये हैं वह परस्पर विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि कानून की दृष्टि में सभी लोग बराबर होने चाहिएं, परन्तु स्वयं उन्होंने यह प्रस्ताव भी किया कि उच्चतम न्यायालय के जजों का सेवाकाल ७० वर्ष की आयु तक और उच्च न्यायालयों के जजों का ६५ वर्ष की आयु तक बढ़ाया जाय। यह दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। माननीय सदस्य ने यह तर्क भी दिया कि न्यायपालिका के कृत्यों की दृष्टि से जजों का प्रौढ़ होना आवश्यक है। परन्तु यदि उच्च न्यायालय का जज ६५ वर्ष की आयु में प्रौढ़ होता है तो यही बात उच्चतम न्यायालय के जज पर भी लागू होनी चाहिए। एक तर्क माननीय सदस्य ने यह दिया कि कई बार उच्च न्यायालय का जज ५ वर्ष ही सेवा कर पाता है, चूंकि ५५ वर्ष की आयु में वह नियुक्त होता है और ६० वर्ष में वह सेवा-निवृत्त हो जाता है। परन्तु यह तर्क भी समर्थनीय नहीं है चूंकि एक जज को उस की क्षमता तथा कौशल के आधार पर उसे उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कर लिया जाता है।

उच्चतम न्यायालय के जजों के सेवाकाल के बारे में उस सभा में और विधि आयोग द्वारा भी विचार किया गया था और इसी निर्णय पर पहुंचे थे कि ७० वर्ष की आयु काफी अधिक है। उच्चतम न्यायालय के जज को ६५ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाना चाहिये। सभी सम्बद्ध पहलुओं पर विचार करने के पश्चात ही संविधान संशोधन विधेयक पारित कर के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों की सेवा निवृत्त होने की आयु क्रमशः ६५ और ६२ निर्धारित की गयी थी।

मैं और सभा का कोई भी सदस्य इस तर्क से सहमत नहीं हुए कि चूंकि भारत में औसत आयु ३२ से बढ़ कर ४७$^1/_2$ वर्ष हो गयी है इसलिये जजों का सेवाकाल भी बढ़ाया जाना वांछनीय है।

मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपने विधेयक पर आग्रह नहीं करेंगे।

श्री कृ० चं० शर्मा: मुझे खेद है कि माननीय मंत्री ने मेरे मूल प्रश्न की ओर ध्यान नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि एक न्याय मंत्रालय बनाया जाय और सभी जज उसी के अधीन हों। एक विधि सम्बन्धी नवीन पद्धति के लिये, न्याय शास्त्र की एक नवीन संहिता को तैयार करने के लिये २० वर्ष का समय वांछनीय है। परन्तु एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति की कार्यविधि ३ से ५ वर्ष तक होती है। यह एक आश्चर्य की बात है। जजों को अथवा सेना या कार्यपालिका पदाधिकारियों को एक दूसरे से नहीं मिलाया जा सकता। मानव और मानव में अन्तर केवल बुद्धि का ही होता है और उन के कृत्यों के आधार पर ही उन में भेद किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के जज का निर्णय अन्तिम नहीं होता जब कि उच्चतम न्यायालय के जज का निर्णय अन्तिम होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय के जजों की कार्यविधि ७० वर्ष तक हो।

इसके अतिरिक्त न्यायाधीश उस वर्ग से आते हैं जिन का जीवन काल सब से अधिक होता है, चूंकि उनका जीवन स्तर काफी ऊचा होता है। यह कहना गलत है कि चूंकि औसत आयु ४७ वर्ष की है इसलिये जजों का सेवाकाल ७० वर्ष तक नहीं होना चाहिए। हम ने देखा है कि ७० और ८०,८० वर्ष की आयु होने के बावजूद भी कई वकील आदि ठीक तरह से काम कर रहे हैं।

इसलिये विधि प्रक्रिया में सुधार लाने के लिये न्याय प्रशासन के लिये सुकर परिस्थितियां पैदा करने के लिये मेरा सशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के सविधान में अग्रतर सशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ:

पक्ष में १२, विपक्ष में ५५

The Lok Sabha divided,
Ayes 12, Noes 55

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से अस्वीकृत हुआ।

The motion is not carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

सरकस कर्मचारियों का संरक्षण विधेयक

PROTECTION OF CIRCUS EMPLOYEES BILL

श्री नाम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि सरकस कर्मचारियों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ और कामगार प्रतिकर अधिनियम, १९२३ आदि को लागू करके उन्हें संरक्षण देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

इस विधेयक का उद्देश्य सरकस उद्योग में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को संरक्षण देना है । इस समय इन कर्मचारियों को श्रमिक प्रतिकर अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा अन्य श्रमिक अधिनियमों द्वारा दी गयी रियायतें तथा लाभ नहीं मिल सकते । इस विधेयक का उद्देश्य सरकस के कर्मचारियों को इन अधिनियमों की सीमा में लाने का है । वर्तमान अधिनियमों में जो त्रुटि पाई जाती है उसे दूर किया जाना चाहिए ।

श्री सोनावने पीठासीन हुए

SHRI SONAVANE in the Chair

यदि माननीय मंत्री मुझे विश्वास दिला दें कि सरकस कर्मचारियों को वर्तमान श्रमिक अधिनियमों द्वारा संरक्षण दिया जाता है तो मुझे हर्ष होगा । यदि उन को संरक्षण प्राप्त नहीं है तो उनको इन अधिनियमों के प्रभाव क्षेत्र में लाना वांछनीय है । इस विधेयक के मूल सिद्धांत के बारे में कोई मतभेद नहीं पाया जाता ।

वर्तमान औद्योगिक विकास अधिनियम की धारा २ में "श्रमिक" शब्द की जो परिभाषा दी गयी है उसमें सरकस के कर्मचारी नहीं आते । यदि वह इस की सीमा में आ जायें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । इस अधिनियम के पृष्ठ ३ पर "उद्योग" शब्द की जो परिभाषा दी गयी है सरकस के स्वामी उससे प्रभावित नहीं होते । उनकी कोशिश यही है कि उनके पास काम करने वाले लोग विधान से लाभ न उठायें। इसलिये इस बात को स्पष्ट करने की जरूरत है। मजूरी अदायगी अधिनियम के उपबंधों की सीमा में भी सरकस के कर्मचारी नहीं आते । केवल श्रमिक प्रतिकर अधिनियम में सरकस के कर्मचारियों का वर्णन पाया जाता है । परन्तु चूंकि अन्य अधिनियमों में श्रमिक की परिभाषा में यह लोग नहीं आते इसलिये इनकी उपेक्षा हो सकती है ।

इस देश में ४८० सरकस समवायों के पास १०,५०० कर्मचारी काम करते हैं, इसलिये यह काफी बड़ा उद्योग है । इन कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार होना चाहिए ।

इस विधेयक के खंड ३ में यह उपबंध है कि इन कर्मचारियों को कर्मचारी शब्द की परिभाषा में लाया जाय । खंड ४ प्रबंध द्वारा उपस्थिति रजिस्टर रखने के बारे में हैं । यह भी दिया गया है कि किसी कर्मचारी से ८ घंटे से अधिक काम न लिया जाय और यदि लिया जाय तो उन्हें उचित पारिश्रमिक दिया जाय । आज कल उन्हें वास्तव में इससे काफी अधिक समय तक काम करना पड़ता है । सुबह दस बजे से रात के १२, १ बजे तक उन्हें काम करना पड़ता है । इसके अतिरिक्त उन्हें सप्ताह में कोई छुट्टी नहीं मिलती। इन कमचारियों को योग्यता बनाये रखने के लिये कई घंटे प्रति दिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना पड़ता है । सरकस में कई प्रकार के खतरनाक काम उन्हें करने पड़ते हैं जिन में छोटी सी चूक के बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं । रूसी सरकस के समान हमारी सरकसों में सुरक्षा उपायों की भी कमी है । सरकस के कनात के अन्दर केवल उसके स्वामी की ही बात मानी जाती

है। वहां पुलिस कर्मचारी भी नहीं जा सकते। सरकस का मालिक चाहे तो किसी को मार कर वहां दफना सकता है और कोई उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकता। कर्मचारियों के साथ पशुओं का सा व्यवहार होता है। ६, ६, ७, ७, वष के बच्चों को सरकस में दाखिल किया जाता है और उन्हें मार मार कर सिखाया जाता है। सरकस वालों का कहना है कि छोटे बच्चों को ही इस काम के लिये तैयार किया जा सकता है, परन्तु हमने रूसी सरकस में ८ या १० वर्ष के बच्चे नहीं देखे।

पुलिस कर्मचारियों को सरकस वाले निःशुल्क पास दे कर खुश कर देते हैं और श्रमिक पदाधिकारी भी कुछ नहीं कर सकते, चूंकि यदि मुकद्दमा दिल्ली में चलाया जाता है तो सरकस वाले कुछ ही दिनों में बम्बई पहुंच जाते हैं। कर्मचारी के लिये या उसके उत्तराधिकारी के लिये बम्बई से दिल्ली आकर प्रतिकर की मांग करना कठिन होता है। इस तरह उन कर्मचारियों का शोषण होता है।

खंड ६ में कर्मचारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की स्वतंत्रता सबंधी उपबंध है।

कर्मचारियों को बीमार होने पर छुट्टी नहीं मिलती और अगर छुट्टी मिलती है तो बिना वेतन के। इस के समाधान के लिये भी उपबंध रखा गया है।

कर्मचारियों को शिक्षा प्राप्त नहीं करने दी जाती चूंकि यदि वह शिक्षित हो जायें तो सरकस वाले उनका शोषण नहीं कर सकते। स्वयं रूसीसरकस के श्री बेलोशिन ने भी हमारी सरकस के कर्मचारियों के निरक्षर होने और लाचार होने की चर्चा की है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस उद्योग में सुधार लाने के लिये इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो, परन्तु कर्मचारियों को आवश्यक सुविधायें मिलनी ही चाहिएं।

हाल ही में सरकस के कर्मचारियों द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत एक अखिल भारत सरकस कर्मचारी संघ नामक सघ पंजीबद्ध कराया गया है, परन्तु सरकस के स्वामियों ने तब से उनको तंग करना शुरू कर दिया है। जैमनी सरकस वालों ने दो कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है। उन्होंने श्रम मंत्रालय को अभ्यावेदन किया है अतः उन्हें प्रतिकर मिलना चाहिए। सरकस वाले कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार करें इस प्रयोजनार्थ कार्यवाही की जानी चाहिये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि सरकस के कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ तथा श्रमिक प्रतिकर अधिनियम, १९२३ आदि के कार्यक्षेत्र में ला कर उनका संरक्षण करने संबंधी विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री जोकिम आलवा (कनारा): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सरकस के कमचारियों का दमन न होने पाये। रूसी सरकस में मैंने स्वय देखा है कि केवल एक लड़की उस में काम करती है जिस की आयु १५ या १६ वष की है और उसके माता पिता भी साथ काम करते हैं। परन्तु हमारे सरकस समवायों में छोटे छोटे बच्चों को पीटा जाता है। श्री नाम्बियार ने इस विषय में जो कुछ कहा है सच है। यह भी सम्भव है कि किन्हीं कर्मचारियों की हत्या कर दी जाती है। सरकार को सरकस के कर्मचारियों को उचित संरक्षण देना चाहिए। मैंने देखा है कि रूसी सरकस में काम करने वालों को पर्याप्त वेतन मिलते हैं और उनको उल्लिखित समय तक काम करना पड़ता है।

[श्री जोकिम आलवा]

सरकस के कर्मचारियों के लिये जीवन रक्षा का प्रबंध उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार रूसी सरकस के कलाकारों के लिये है। जीवन जोखिम से बचाने के लिये उनके लिये रस्सियां लगी हुई होती है। कलाकार की मृत्यु हो जाने पर और चोट लगने पर उसे मुआवजा मिलना चाहिए। छोटे बच्चों को सरकस में काम नहीं करने देना चाहिए चूंकि उन्हें खानों में भी काम नहीं करने दिया जाता। कर्मचारियों के वेतन, छुट्टी आदि के लिये उचित प्रबंध होने चाहिएं। कलाकारों की शारीरिक एवं वित्तीय दृष्टियों से रक्षा की जानी चाहिए।

यह एक ऐसा विधेयक है जिसका सम्बंध किसी दल विशेष से नहीं है, इसलिये मुझे आशा है कि सभी सदस्य इसका समर्थन करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय......

सभापति महोदय : श्री बनर्जी अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात लोक सभा शनिवार, ११ अप्रैल, १९६४/चैत्र, २२, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday the 11th April, 1964/Chaitra 22, 1886 (Saka)

GMGIPND—LS III—564 (Ai) LSD—27-6-64—600.